अमर उजाला

प्रवाह

महोत्सव विश्वास का

75

निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना वर्ष : 1948

नई दिल्ली ■ बृहस्पतिवार, 25 अप्रैल 2024

आत्मविश्वास से भरपूर लोगों के पास खुद को आगे बढ़ाने का एक तरीका होता है, जिससे दूसरे लोग उनकी ओर आकर्षित होते हैं।
-सोफिया वर्गारि

मुद्रास्फीति के चार फीसदी के तय लक्ष्य के नीचे जाने की संभावनाओं के बावजूद केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट का यह कहना चिंताजनक है कि खराब मौसम व भू-राजनीतिक तनावों के चलते महंगाई बढ़ सकती है। पर निजी निवेश में वृद्धि और बढ़ती घरेलू मांग देश की सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था को लेकर आश्वस्त करते हैं।

युद्ध, मौसम और महंगाई

ऐसे वक्त में जब खुदरा मुद्रास्फीति के चार फीसदी के तय लक्ष्य के नीचे जाने की पूरी संभावनाएं दिख रही हों, केंद्रीय बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था की स्थिति पर हाल में जारी रिपोर्ट का यह कहना कि खराब मौसम व युद्धों के चलते महंगाई बढ़ सकती है, चिंताजनक है। दरअसल, खुदरा मुद्रास्फीति देश के लिए काफी समय से बड़ा संकट बनी हुई है। अप्रैल, 2023 के बाद से रेपो दर में कोई बदलाव न किए जाने के बावजूद केंद्रीय बैंक खुदरा मुद्रास्फीति को तय लक्षित दायरे में नहीं ला सका है। हालांकि कुछ दिन पूर्व सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकनॉमी (सीएमआईई) की रिपोर्ट में खुदरा महंगाई के वर्तमान वित्त वर्ष के अंत तक थोड़ी पांच साल के न्यूनतम स्तर पर पहुंच कर केंद्रीय बैंक के चार फीसदी के लक्ष्य के नजदीक आने की संभावना जताई गई थी। पर भू-राजनीतिक तनाव के चलते अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेल की कीमतें जिस तरह बढ़ी हैं, उससे तो यही लगता है कि इसकी राह आसान नहीं होने वाली है। दूसरी तरफ, विश्व मौसम संगठन की हालिया रिपोर्ट ने भी प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों की बढ़ती आशंकाओं की ओर इशारा किया है, जो कृषि क्षेत्र समेत पूरी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर नहीं है। हालांकि केंद्रीय बैंक की रिपोर्ट में जीडीपी विकास दर सात फीसदी से ज्यादा रहने का अनुमान लगाने के साथ यह भी कहा गया है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत जिस तरह से दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, उसने आगामी वर्षों में लक्षित आठ से दस फीसदी विकास दर को पाने के लिए आधार का काम किया है। लेकिन इसके लिए बढ़ती महंगाई पर काबू पाना और युवा आबादी का बेहतर उपयोग करना बेहद जरूरी है। उल्लेखनीय है कि हालिया पश्चिम एशिया संकट, यूक्रेन युद्ध और लाल सागर से गुजरने वाली वैश्विक आपूर्ति शृंखला पर हूती विद्रोहियों के हमलों के चलते देश का कृषि निर्यात पहले से ही जूझ रहा था। तिस पर गेहूं, चीनी, चावल व प्याज जैसी महत्वपूर्ण वस्तुओं पर

प्रतिबंध के चलते कृषि निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में करीब नौ फीसदी कम हो चुका है और अब प्रतिकूल मौसम ने भी फसलों पर संकट बढ़ाया ही है, जिससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों और विशिष्ट कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने वाली कार्ययोजना से काफी उम्मीदें हैं, जिस पर सरकार काम कर रही है। इसलिए इन चुनौतियों से इतर, निजी निवेश में वृद्धि, सशक्त बैलेंस शीट, बढ़ती घरेलू मांग और सरकारी पूंजीगत खर्च से भारतीय कंपनियों की ऋण गुणवत्ता और श्रम की गुणवत्ता में जो सुधार हुआ है, वह कुल मिलाकर देश की लगातार सुदृढ़ होती अर्थव्यवस्था को लेकर आश्वस्त ही करता है।

जीवन धारा

जेम्स एलन

प्रत्येक मनुष्य, जिसने समय की जिस किसी भी अवधि के लिए आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि का अभ्यास किया है, वह जानता है कि परिस्थितियां विचार से उत्पन्न होती हैं।

मनुष्य अपनी आत्मा रूपी बगिया का माली है

मनुष्य का मन एक उपवन के समान है, जिसे समझदारी से सजाया-संवारा जा सकता है अथवा उसे झाड़-झंखाड़ की भांति बेरोक-टोक फैलने दिया जा सकता है। लेकिन चाहे परिष्कृत ढंग से हो या उपेक्षित, उसमें कुछ न कुछ तो उगने ही वाला है। यदि उसमें उपयोगी बीज नहीं बोए गए, तो बेकार के पेड़-पौधे उगते रहेंगे, अनुपयोगी जंगली खरपतवार के बीज बहुतायत में पैदा होंगे और अपने ही समान खरपतवार बढ़ाते जाएंगे।

जैसे माली अपने बगीचे में करीने से जमीन तैयार करता है, खरपतवार साफ करता है, अपनी जरूरत के अनुसार फल-फूल उगाता है, उसी तरह सारे खराब, गलत, अशुद्ध विचारों को उखाड़ते रहकर मनुष्य को अपने मन रूपी उपवन को सुंदर बनाए रखना चाहिए, और पूर्णत्व की ओर बढ़ने के लिए सही, उपयोगी और शुद्ध फल-फूल रूपी विचार बनाए रखकर, उनकी देखभाल करते रहना चाहिए। इस प्रक्रिया को बराबर करते रहने से, देर-सवेर मनुष्य को आखिर यह बोध हो ही जाता है कि अपनी आत्मा रूपी बगिया का प्रमुख माली वही है-और अपने जीवन का निर्देशक भी। विचार के ये नियम उसके भीतर उद्घाटित होते हैं कि किस प्रकार विचार की शक्ति और मन के तत्व उसके चरित्र, परिस्थितियों, और भाग्य को गढ़ने में अपना योगदान देते हैं और इस बारे में उसकी समझदारी दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जाती है।

विचार और चरित्र एक ही हैं और जिस तरह चरित्र को केवल वातावरण और परिस्थितियों के द्वारा ही अपने आपको अभिव्यक्त करके समझा जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन की बाहरी दशाएं उसकी आंतरिक दशाओं के सामंजस्य में प्रगट होती हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि किसी समय विशेष में मनुष्य की परिस्थितियां उसके चरित्र के बारे में पूरी तरह संकेत दे सकें, परंतु वे परिस्थितियां उसके अंदर के महत्वपूर्ण विचार तत्व से इतनी प्रगाढ़ता से जुड़ी होती हैं कि उस समय उसकी प्रगति के लिए वे अपरिहार्य होती हैं।

अस्तित्व के नियम के अनुसार, हर मनुष्य अपनी उस सही जगह पर है, जहां उसे होना चाहिए। जिन विचारों को उसने अपने चरित्र में गढ़ा है, वही उसे वहां पर लेकर आए हैं, तथा उसके जीवन की व्यवस्था में इतेफाक की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि यह सब उस नियम के परिणाम हैं, जिसमें कभी गलती हो ही नहीं सकती।

यह उसके लिए उसी तरह सत्य है, जो अपने वातावरण से संतुष्ट हैं और उनके लिए भी जो अपने वातावरण से सामंजस्य नहीं बैठा पाते।

प्रत्येक मनुष्य, जिसने समय की जिस किसी भी अवधि के लिए आत्मनियंत्रण और आत्मशुद्धि का अभ्यास किया है, वह जानता है कि परिस्थितियां विचार से उत्पन्न होती हैं, क्योंकि उसने गौर किया होगा कि उसकी बदली हुई मनोदशा के सही अनुपात में उसकी परिस्थितियों में बदलाव होता है।

मन में निहित विचार...

सूत्र

विचार का पुष्पित होना कार्य है, सुख और दुख उसके फल हैं। इसलिए मनुष्य अपने जीवन रूपी बगीचे में कभी मीठे और कभी कड़वे फल संग्रह करता है। मन में निहित विचार ने हमें बनाया है, हम जो भी हैं, वह अपने विचारों द्वारा गढ़े और निर्मित किए गए हैं। यदि मनुष्य के मन में बुरे विचार हैं, तो उसके पास दुख इस प्रकार आता है, जैसे बैल के पीछे पहिया...

ईरान-इस्राइल संघर्ष और भारत

ईरान और इस्राइल के बीच तनाव बढ़ने से कच्चे तेल के महंगे होने पर भारत का आयात बिल बढ़ जाएगा, जिससे न केवल चालू खाते का घाटा बढ़ेगा, बल्कि व्यापार संतुलन भी बिगड़ सकता है। भारत के इस्राइल और ईरान, दोनों के साथ रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। इसलिए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है।

महेंद्र बाबू कुरुवा

बीते 19 अप्रैल को इस खबर के आते ही कि ईरान के इस्फहान शहर के करीब एक प्रमुख एयरबेस के पास एक बड़ा धमाका हुआ है, अमेरिकी अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की कि इस्राइल ने ड्रोन से ईरान में अपना सैन्य अभियान छेड़ दिया है। इससे ऐसा लगता है कि इस्राइल ने रणनीतिक दृष्टि से अपना लक्ष्य चुना है, क्योंकि इस्फहान शहर ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े स्थलों का घर है, जिसमें इसका भूमिगत नतांज संवर्धन स्थल भी है।

पश्चिम एशिया पिछले एक अप्रैल से ही उबल रहा है, जब इस्राइल ने सीरिया स्थित ईरान के दूतावास पर हमला किया था। उसके बाद इस क्षेत्र में भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, क्योंकि पहली बार ईरान ने पलटवार करते हुए सीधे इस्राइल पर हमला किया, जिसकी प्रतिक्रिया में इस्राइल ने इस्फहान में ताजा हमला किया है। दोनों धुर विरोधी मुल्कों के बीच दशकों से जो छद्म युद्ध चल रहा था, उसने अब गंभीर मोड़ ले लिया है, जिसने वैश्विक अर्थव्यवस्था और राजनीतिक स्थिरता के लिए चिंता बढ़ा दी है। पूरी दुनिया उत्सुकता से इन घटनाक्रमों को देख रही है और इसके प्रभावों की प्रतीक्षा कर रही है। यह एडवर्ड लरिन्स के 'बटरफ्लाइ इफेक्ट' की याद दिलाता है, जो कहता है कि तितली के पंख फड़फड़ाने से भविष्य में हजारों मील दूर के मौसम पर प्रभाव पड़ता है। इस अवधारणा की कल्पना एक तितली द्वारा पंख फड़फड़ा कर तूफान पैदा करने से की गई है। यह ईरान और इस्राइल के बीच बढ़ते तनाव तथा सामान्य रूप से शेष दुनिया एवं विशेष रूप से भारत पर पड़ने वाले प्रभावों के संदर्भ में सटीक है।

भारत पर इस संघर्ष का सबसे बड़ा असर कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के जरिये पड़ेगा। यह इसलिए, क्योंकि भारत कच्चे तेल का दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और पश्चिम एशिया वैश्विक कच्चे तेल के एक-तिहाई का आपूर्तिकर्ता है। ईरान और इस्राइल के बीच तनाव बढ़ते ही आपूर्ति संकट के कारण कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं। चूंकि भारत

अपनी जरूरत के 85 फीसदी कच्चे तेल की पूर्ति आयात से करता है, इसलिए कीमतों में जरा-सी वृद्धि होने पर भी आयात बिल काफी बढ़ जाता है, जिससे न केवल चालू खाते का घाटा बढ़ता है, बल्कि व्यापार संतुलन भी बिगड़ जाता है। दूसरी तरफ, पेट्रोल एवं डीजल की कीमतें बढ़ जाने से परिवहन लागत बढ़ जाती है, जो मुद्रास्फीति बढ़ाती है और आम आदमी का जीवन कठिन हो जाता है। इसके अलावा, तेल की उच्च कीमत और पश्चिम एशिया में अस्थिरता से डॉलर में मजबूती आएगी, जो भारतीय रुपये को और कमजोर करेगी और देश के समग्र आर्थिक चुनौतियां बढ़ जाएंगी। इसलिए यदि समय पर इसका प्रबंधन नहीं किया गया, तो इससे देश की व्यापक आर्थिक बुनियादें खतरे में पड़ जाएंगी।

यह भी ध्यान देना प्रासंगिक है कि ईरान लेबनान में हिजबुल्ला, यमन में हूती और फलस्तीन में हमास का समर्थन करता है और उनसे सहयोग भी लेता है। ईरान और इस्राइल के बीच तनाव बढ़ने की स्थिति में इस बात की बहुत आशंका है कि ईरान अरब सागर और लाल सागर में व्यापार मार्ग को बाधित करने के लिए हूती विद्रोहियों का सहयोग ले। हाल के महीनों में इस्राइल-फलस्तीन संघर्ष के मद्देनजर हूती विद्रोहियों की बाधाओं के चलते पूरी दुनिया को पहले ही काफी नुकसान उठाना पड़ा है। आशंका इस बात की है कि ईरान दुनिया के सर्वाधिक रणनीतिक महत्व के होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर सकता है, जो फारस की खाड़ी से खुले महासागर में जाने का एकमात्र समुद्री मार्ग है। यदि ऐसा हुआ, तो वैश्विक आपूर्ति शृंखला बाधित हो जाएगी, जिससे पूरी दुनिया में मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ वैश्विक व्यापार में काफी उथल-पुथल होगा। कहने की जरूरत नहीं है कि भारत को भी बाधित व्यापार प्रवाह और उच्च मुद्रास्फीति और निर्यात क्षेत्र में घाटे का खामियाजा भुगतना पड़ेगा।

भारत के इस्राइल और ईरान, दोनों देशों के साथ रणनीतिक हित जुड़े हुए हैं। पिछले दस वर्षों में भारत के संबंध इस्राइल के साथ काफी घनिष्ठ हुए हैं और इस्राइल भारत को आतंकवाद के खिलाफ समर्थन देने के अलावा रक्षा उपकरणों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। भारत इस्राइल का एशिया में दूसरा सबसे बड़ा और दुनिया में सातवां सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। भारत में बड़ी संख्या में यहूदी रहते हैं और इस्राइल में भी 18,000 भारतीय रहते हैं, जो वहां इस्राइली बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, सॉफ्टवेयर पेशेवर हैं, हीरा व्यापारी और छात्र हैं। जब इस्राइल ने हालिया संघर्ष के बाद अपने देश में फलस्तीनी श्रमिकों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया, तो भारत ने काफी श्रमिक इस्राइल भेजे। इस प्रकार भारत के इस्राइल के साथ रणनीतिक संबंधों के अलावा व्यापार, रक्षा और लोगों के आपसी संबंध भी हैं।

दूसरी तरफ ईरान से भी भारत के पुराने संबंध हैं और इसे ईरान की भी उतनी ही जरूरत है, जितनी इस्राइल की। यह इसलिए कि भारत के मध्य एशियाई देशों, विशेष रूप से कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि जैसे पूर्व सोवियत गणराज्य के राज्यों से रणनीतिक हित और ऐतिहासिक संबंध हैं। इन देशों में बड़े पैमाने पर हाइड्रो कार्बन के भंडार हैं। इन संसाधनों तक भारत की पहुंच और इन देशों से मजबूत आर्थिक और व्यापारिक रिश्तों को जारी रखने के लिए ईरान से होकर गुजरने वाले मार्ग की आवश्यकता है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ भारत के अच्छे संबंध नहीं हैं।

हालांकि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत ईरान से तेल नहीं खरीदना चाहता है, जबकि चीन लगातार ईरान से तेल खरीद रहा है। ऐसे में चीन की ईरान में बढ़ती उपस्थिति को देखते हुए इस क्षेत्र में चीनी प्रभुत्व का मुकाबला करने और मध्य एशिया तक अपनी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ईरान से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना जरूरी है। इस पृष्ठभूमि में, यह प्रासंगिक है कि भारत पश्चिम एशिया में आने वाले समय में भू-राजनीतिक घटनाक्रमों से निपटने के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाए। इस मोर्चे पर किसी भी नीतिगत चर्चा के लिए भारत के दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक हितों का पुनर्मूल्यांकन करने और जल्द ही उत्पन्न होने वाली जरूरतों के प्रबंधन के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है।

-लेखक एसएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं बिजनेस मैनेजमेंट विभाग के प्रमुख हैं।
edit@amarujala.com

दूसरा पहलू

अनुसूचित जनजाति बहुल लोयरा गांव की जनसंख्या करीब 2500 है, जहां नई पीढ़ी में शिक्षा का स्तर बढ़ने से जागरूकता बढ़ी है।

शिक्षा ने बढ़ा दी वंचित समाज में जागरूकता

ऐतिहासिक नगरी उदयपुर से मात्र आठ किलोमीटर दूर है लोयरा गांव, जो बड़गांव तहसील के अंतर्गत आता है। अनुसूचित जनजाति बहुल इस गांव की जनसंख्या करीब 2500 है। यहां ओबीसी से जुड़े डांगी समुदाय के साथ-साथ कुछ घर लोहार, जाट, सुथार और उच्च जातियों के भी हैं। उदयपुर शहर से करीब होने का असर गांव में साफ नजर आता है। अब ज्यादातर मकान पक्के बनने लगे हैं।

मोहन लाल गमेती

आर्थिक रूप से कमजोर होने के बावजूद गांव शैक्षणिक रूप से विकसित हुआ है। यहां के लोग अब सरकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ भी उठाने लगे हैं।

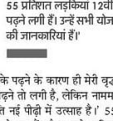

ओबीसी और सामान्य जातियों के लोग जहां कृषि, व्यवसाय और पशुपालन करते हैं, वहीं अनुसूचित जनजातियों से जुड़े परिवारों के पुरुष उदयपुर के आसपास की मार्बल फैक्टरियों में काम करते हैं। कुछ दिहाड़ी मजदूर के रूप में भी काम करते हैं। कई लोग काम करने अहमदाबाद, सूरत और बंगलूरू चले गए हैं, जबकि महिलाएं शहर में घरेलू सहायिका का काम करती हैं।

आर्थिक रूप से लोयरा गांव भले ही कमजोर हो, पर सामाजिक और शैक्षणिक रूप से यह पहले की अपेक्षा अधिक विकसित हुआ है। यही कारण है कि गांव में सरकारी योजनाओं के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ी है और वे इसका अधिक से अधिक लाभ भी उठाने लगे हैं। गांव की नई पीढ़ी में शिक्षा का स्तर बढ़ा है, जिसने गांव में जागरूकता बढ़ाई है। 45 वर्षीय शिक्षालाल कहते हैं कि 'पहले राशन डीलर हमें राशन नहीं देता था, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है। अब राशन नहीं मिलने पर हम उससे सवाल करते हैं।'

गांव की 70 वर्षीय बुजुर्ग तारु बाई कहती हैं कि 'अब हमारे समुदाय की 55 प्रतिशत लड़कियां 12वीं तक पढ़ने लगी हैं। उन्हें सभी योजनाओं की जानकारियां हैं। घर में बच्चे के पढ़ने के कारण ही मेरी वृद्धा पेंशन शुरू हो सकी है।' वह कहती हैं कि 'नई पीढ़ी पढ़ने तो लगी है, लेकिन नाममात्र लोग ही नौकरी करते हैं। इसके बावजूद शिक्षा के प्रति नई पीढ़ी में उत्साह है।' 55 वर्षीय सुंदर बाई बताती हैं कि 'हमारे बच्चे जागरूक हो गए हैं और अपने अधिकारों को पहचानने लगे हैं। समुदाय के अधिकतर लोग योजनाओं का लाभ उठाने लगे हैं।'

हालांकि इसी गांव में मांगीलाल और तुलसीराम का परिवार भी है, जो खाद्य सुरक्षा के तहत जन वितरण प्रणाली का लाभ उठाने से वंचित है। मांगीलाल का पुत्र भूपेंद्र 12वीं पास है। दोनों परिवार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। बहरहाल, ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के बढ़ते प्रसार ने गांव के अनुसूचित जनजाति समाज के लोगों को जागरूक बना दिया है और वे योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। *(चरखा फीचर)*

आंकड़े

घटता एनपीए

भारतीय बैंकों पर से एनपीए (नॉन परफार्मिंग एसेट) का बोझ घटकर 3.2 फीसदी पर आ गया है, जो 2013 के बाद से न्यूनतम स्तर पर है।

सितंबर-2023	3.2%
मार्च-2023	3.9%
मार्च-2021	7.4%
मार्च-2018	9.3%
मार्च-2017	9.6%

स्रोत : RBI Financial Stability Report

विरक्त व्यक्ति को संपत्ति से क्या लेना-देना। तैयारी करके संन्यास नहीं लिया जाता। त्याग तो सहज ही हुआ करता है।

शुभ कार्य में देरी क्यों

अंतर्यात्रा
संकलित

एक स्त्री अपने पिता के यहां से लौटी, तो अपने पति से कहा कि 'मेरा भाई विरक्त हो गया है। वह अगली दीवाली पर दीक्षा लेकर साधु बनने वाला है। अभी से उसने तैयारी प्रारंभ कर दी है। वह अपनी संपत्ति की उचित व्यवस्था करने में लगा है।' पत्नी की बात सुनकर पति हंसने लगा। स्त्री ने पूछा-'तुम हंसे क्यों? इसमें हंसने की क्या बात थी?'

पति बोला-'और तो सब ठीक है, किंतु तुम्हारे भाई का वैराग्य मुझे बहुत अद्भुत लगा। अगर उसके मन में विरक्ति की भावना आ गई है, तो तत्काल संन्यास ले लेना चाहिए। दीक्षा लेने के लिए भी कहीं तिथि देखी जाती है क्या! और तुम्हीं बता रही हो कि वह संपत्ति की उचित व्यवस्था में लगा है। विरक्त व्यक्ति को संपत्ति से क्या लेना-देना। तैयारी करके संन्यास नहीं लिया जाता। त्याग तो सहज ही हुआ करता है।' स्त्री को बुरा लगा। वह बोली-'ऐसे ज्ञानी हो, तो तुम्हीं संन्यास लेकर क्यों नहीं दिखाते।'

पति ने कहा, 'मैं तो तुम्हारी अनुमति की ही प्रतीक्षा में था।' इतना कहकर पुरुष मात्र एक धोती में घर से निकल पड़ा। स्त्री ने समझा कि यह परिहास है। थोड़ी देर में लौट आएगा, परंतु वह तो लौटने के लिए गया ही नहीं था। सच है, वैराग्य के लिए कोई तिथि नहीं सोची जाती।

(अमर उजाला आर्काइव से)

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 26 जनवरी, 1990

भीषण अग्निकांड में 47 मकान जलकर भस्म

भीषण अग्निकांड भस्म, अबोध शि

भिंड जिले के अटेर थाना अंतर्गत कोसइ गांव में भीषण अग्निकांड में 47 मकान जलकर भस्म हो गए। इस अग्निकांड में एक वर्षीय अबोध शिशु तथा आधे दर्जन पशुओं के भी जलकर मरने की खबर है।

बलोचों पर पाकिस्तानी हुकूमत के जुल्म

कुलदीप तलवार

पड़ोस

भारत को बलोचों पर ढाए जा रहे जुल्मों के मसले को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाना चाहिए, इससे पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब होगा।

पाकिस्तान में जहां एक तरफ लोग ईद मना रहे थे, वहीं बलोच समुदाय के लोग सड़कों पर पाकिस्तानी सरकार व सेना के अत्याचारों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन कर रहे थे। इनका विरोध पाकिस्तान से आजादी पाने और लापता बलोचों की तलाश की मांग को लेकर था। दरअसल इन लोगों को पाकिस्तानी सेना ने गायब करवाया था और आज तक पता नहीं चल सका है कि वे जिंदा हैं, या नहीं। मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन होने के कारण दुनिया भर में इसकी निंदा हो रही है।

विभाजन के समय बलूचिस्तान पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के दबाव में उसे शामिल होना पड़ा। उस समय बलोच नेता कलात खान के संरक्षण में आजादी हासिल करने के लिए आंदोलन जारी था, जो बाद में और तेज हो गया। इसलिए बलोच राष्ट्रवादियों को पाकिस्तानी सरकार व सेना विद्रोही कहती है।

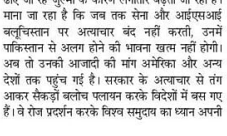

उनकी नाराजगी पाकिस्तानी हुकूमत और सेना द्वारा ढाए जा रहे जुल्मों के कारण लगातार बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि जब तक सेना और आईएसआई बलूचिस्तान पर अत्याचार बंद नहीं करती, उनमें पाकिस्तान से अलग होने की भावना खत्म नहीं होगी। अब तो उनकी आजादी की मांग अमेरिका और अन्य देशों तक पहुंच गई है। सरकार के अत्याचार से तंग आकर सैकड़ों बलोच पलायन करके विदेशों में बस गए हैं। वे रोज प्रदर्शन करके विश्व समुदाय का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर हस्तक्षेप करने की उम्मीद कर रहे हैं।

इमरान खान की सरकार के समय से बलूचिस्तान के हालात और ज्यादा खराब हुए हैं। अब फौज के समर्थन से बनी गठबंधन सरकार इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। वह बलोच लोगों पर अत्याचार कर रही है।

बलोचों के लापता होने के पीछे खुफिया एजेंसी का हाथ बताया जा रहा है। जो लोग लापता बलोचों की तलाश करने की मांग करते हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है। लगभग 25,000 से अधिक बलोचों का अपहरण हुआ है और उनमें से ढाई हजार से अधिक लोगों के गोलियों से छलनी व अत्याचारों के प्रमाण देने वाले शव बरामद हुए हैं। अब बाकियों की तलाश की मांग जारी है। ईद के अवसर पर हुए प्रदर्शन में सैकड़ों महिलाएं और बच्चे अपने लापता परिजनों की तस्वीरें लेकर शामिल हुए थे। मगर मौजूदा पाक सरकार व सेना उनकी कोई मदद नहीं कर रही है, बल्कि अब भी बलोचों को जबरन गायब करने का सिलसिला जारी है।

क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। यहां करीब एक करोड़ लोगों की आबादी है। प्राकृतिक संसाधनों के लिहाज से यह बाकी पाकिस्तान से ज्यादा समृद्ध है। पाकिस्तान के संविधान के अनुसार, बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर केंद्र और दूसरे प्रांतों का अधिकार कायम है, जबकि संसाधनों पर केवल बलोचों को अधिकार मिलना चाहिए था। इस प्रांत में जो गैस पैदा की जाती है, उसकी आपूर्ति सारे पाकिस्तान में होती है और बलूचिस्तान को बहुत कम रॉयल्टी मिलती है। बलोच लोग चाहते हैं कि वहां से फ्रंटियर कोर की वापसी हो और उन पर लगाए गए मुकदमे वापस लिए जाएं।

बलोचों को इस बात का भी मलाल है कि ग्वादर बंदरगाह पर उन्हें काम देने के बजाय चीनियों को काम दे दिया गया है। जबकि बंदरगाह के निर्माण के समय उनसे वादा किया गया था कि बलोचों को काम दिया जाएगा। चीन आर्थिक गलियारों को ग्वादर बंदरगाह से जोड़कर इस क्षेत्र को अपनी कॉलोनी बनाना चाहता है। हाल ही में पांच चीनी इंजीनियरों की हत्या हुई और उसके लिए बलोचों को जिम्मेदार ठहराया गया है। इन इंजीनियरों की हत्या के संदर्भ में पाकिस्तान चीन के आगे बेबस है।

पाकिस्तान भारत पर अक्सर आरोप लगाता रहता है कि भारत बलोचों को भड़काता है। लेकिन यह पाकिस्तान का बहुत बड़ा झूठ है। भारत इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। ऐसे कई मौके आए हैं, जब विदेश में रह रहे बलोचों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी, ताकि पाकिस्तान से उन्हें छुटकारा मिल सके। जिस तरह पाकिस्तान कश्मीर का मसला अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाता रहता है, भारत को भी बलोचों पर ढाए जा रहे जुल्मों के मसले को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाना चाहिए। इससे कश्मीर के बारे में दुष्चारित करने वाले पाकिस्तान का असली चेहरा बेनकाब हो जाएगा।

खराब मौसम

बढ़ता तापमान

खराब मौसम व बढ़ते तापमान का अनुमान अनेक मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही लगाया था। वर्ष 2023 में घटी आत्यन्तिक मौसमी घटनाओं ने उनके इन अनुमानों की पुष्टि कर दी है। अब एक अध्ययन ने खराब मौसम व बढ़ते तापमान के बीच परेशान करने वाले संबंध उजागर किए हैं। अनेक मौसमी घटनायें जलवायु परिवर्तन से पैदा बढ़ते तापमान के कारण हैं। मौसम वैज्ञानिकों की एक टीम ने 2023 में दुनिया भर में आत्यन्तिक मौसम घटनाओं की अभूतपूर्व बारंबारता व तीव्रता का विश्लेषण किया। इनमें रिकार्डतोड़ गरम हवाओं के कारण जंगलों में लगने वाली विनाशकारी आग, बेलगाम बरसात के कारण बाढ़ व सूखा तथा शक्तिशाली ट्रापिकल तूफान शामिल हैं। इसका एक प्रमुख परिणाम आत्यन्तिक घटनाओं तथा मौसम वैज्ञानिकों के दीर्घकालीन परिणामों के बीच स्पष्ट संबंध के रूप में सामने आया है। 'ग्रीनहाउस गैस' उत्सर्जन लगातार बढ़ने से धरती की जलवायु पर भारी दबाव पड़ा है। लंबे समय से माना जाता था कि वातावरण में गरमी बढ़ने से ऐसी घटनाओं की बारंबारता व गंभीरता में तेजी आई है। अब मिले स्पष्ट प्रमाणों से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन संकट से फौरन निपटना जरूरी हो गया है। इन घटनाओं के प्रभाव पर्यावरणीय सरोकारों से बहुत आगे जाते हैं और इनमें सामाजिक-आर्थिक, मानवीय व भू-राजनीतिक आयाम शामिल हैं। संकटग्रस्त समुदायों को इनका सर्वाधिक खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसके साथ ही आवश्यक ढांचागत संरचनाओं व सप्लाई श्रृंखलाओं में बाधा पड़ने से चुनौतियां बढ़ जाती हैं। इन खुलासों से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए समग्र कार्रवाई जरूरी हो जाती है। इसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन घटाने के साथ ही टिकाऊ भूमि-

प्रयोग व्यवहार शामिल हैं। जलवायु परिवर्तन के अनिवार्य प्रभावों से बचने के लिए 'परिवर्तनकारी रणनीतियों' की भी आवश्यकता है।

इनमें से एक पहल मौसमविज्ञान एजेंसियों द्वारा किसानों को कृषि उत्पादकता पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए सटीक सलाहें जारी करना है। इस संबंध में भारतीय मौसम विभाग-आईएमडी ने परिष्कृत पूर्वानुमान तकनीकों तथा एग्रोनोमिक विशेषज्ञों का प्रयोग कर सक्रिय कदम उठाए हैं। डेटा-आधारित जानकारियों तथा स्थानीय दृष्टिकोण के आधार पर इन सलाहों से किसानों को उपयुक्त रोपाई समय, सिंचाई प्रबंधन, कीट व रोग नियंत्रण तथा फसलों के चयन में बहुत सहायता मिलती है। आईएमडी की पहल वैज्ञानिक ज्ञान को व्यावहारिक समाधानों से जोड़ने में सहायक है जिससे जलवायु परिवर्तन की अनेक चुनौतियों से निपटा जा सकता है। किसानों को कार्य योग्य सूचना तथा उपकरणों से लैस कर ऐसी पहलों से न केवल खेती आर्थिक रूप से मजबूत बनती है, बल्कि यह टिकाऊ आजीविका व खाद्य सुरक्षा में योगदान भी करती है। जलवायु परिवर्तन की जटिलताओं तथा उसके दूरगामी प्रभावों से निपटने के लिए विभिन्न पक्षों के बीच सहयोग व खोज बहुत जरूरी हो जाती है। इनसे ज्यादा मजबूत व टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा अध्ययनों के आधार पर दी गई चेतावनियों पर ध्यान देकर तथा स्थानीय, राष्ट्रीय व वैश्विक स्तरों पर सक्रिय कदम उठा कर हम ऐसी दुनिया का निर्माण कर सकते हैं जहां जलवायु परिवर्तन के आत्यन्तिक प्रभावों का सामाना किया जा सके। इससे विभिन्न समुदायों व खासकर सर्वाधिक संकटग्रस्त समुदायों को प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने के लिए सशक्त बनाया जा सकता है।

ज्ञानवापी पर ऐतिहासिक संघर्ष

ज्ञानवापी पर कानूनी दांवपेंच के बीच विवादित स्वामित्व, धार्मिक अपमान तथा इतिहास की पुरानी चोटों का गहन विमर्श उभरता है। इस्लामी शासनकाल में हजारों हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया गया था।

प्रफुल्ल गोराडिया
(लेखक, पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं)

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी पर वर्तमान समय में जारी कानूनी दांवपेंचों के बीच इस स्थल के विवादित स्वामित्व, हिंदुओं के धार्मिक स्थलों के अपवित्रीकरण व अपमान तथा हिंदू समाज पर इतिहास की पुरानी चोटों का गहन विमर्श उभरता दिख रहा है। पिछले कई महीनों से वाराणसी की अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक ज्ञानवापी में पूजा के अधिकार को लेकर चल रही कानूनी लड़ाइयां एक नैतिक दिलचस्पी का विषय भी हैं। दोनों पक्षों के वकीलों द्वारा अदालतों में पेश अनेक दस्तावेजों का तुलनात्मक अध्ययन हो रहा है। वकीलों के साथ ही आम लोगों को भी पता है कि जहां एक पक्ष 'तहखाने' में अपने मुवक्किलों के पूजा करने के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहा है, वहीं दूसरा पक्ष पहले पक्ष के स्वामित्व के अधिकार पर ही सवाल उठा रहा है। हालांकि, अनेक न्यायाधीशों, नेताओं तथा मुवक्किलों को भी यह तथ्य सपष्ट नहीं है कि कोई भी पक्ष 'डकैती' से प्राप्त संपत्ति पर अपने अधिकार का दावा नहीं कर सकता है क्योंकि यह एक प्रकार की लूट है, भले ही इसे चाहे जिस रूप में पेश किया जाए।

स्पष्ट है कि इस स्थल पर 17वीं शताब्दी तक किसी मस्जिद का अस्तित्व नहीं था। इतिहासकारों के अनुसार, मुगल बादशाह औरंगजेब ने एक 'फरमान' या शाही आदेश से काशी विश्वनाथ मंदिर नष्ट करवाया था। लेकिन इस आदेश के बावजूद पुराने मंदिर का का पश्चिमी हिस्सा बचा रहा। इस पश्चिमी हिस्से में आज भी इस बात के प्रमाण स्पष्ट रूप से नंगी आंखों से दिखाई देते हैं कि यहां मूलत: एक मंदिर था और उसकी महराबें अब भी अस्तित्व में हैं। यहां देवी-देवताओं की मूर्तियों के साथ ही अनेकानेक हिंदू धार्मिक व सांस्कृतिक प्रतीकों का अस्तित्व अब भी बना हुआ है। मुगल बादशाह के कट्टर अनुयाइयों को इस तथ्य से कोई परेशानी नहीं होती है कि भगवान काशी विश्वनाथ के अनेक भक्तों को 17वीं शताब्दी के मध्य से ही एक छोटे मंदिर तक सीमित कर दिया क्योंकि उनकी पूजा के लिए कोई और स्थान नहीं था। विडंबना है कि यह स्थिति देश की स्वतंत्रता के बाद भी बनी रही। इस प्रकार तीन शताब्दी से अधिक समय से एक अवैध ढांचा काशी विश्वनाथ मंदिर के मूल स्थान पर बना हुआ है जो आज भी औरंगजेब की 'कट्टरपंथी विचारधारा' के अनुयाइयों का स्वागत करता प्रतीत होता है। इस मामले में संबंधित न्यायाधीशों को जल्द ही न्यायिक प्रक्रिया अवश्य शुरू करनी चाहिए। इस मामले की सुनवाई करते समय इस तथ्य पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए कि भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर को नष्ट कर उसे अपवित्र किया गया। इस प्रकार यह मामला दो समान पक्षों के बीच विवाद का नहीं है।

इस पूजास्थल पर 'एडवर्स पजेशन' कानून या कब्जे के अधिकार का मामला नहीं लागू होता है। हिंदू धर्मावलंबियों ने कभी काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर उसके स्थान पर मस्जिद बनाने को स्वीकार नहीं किया, उसे चुनौती दी और साथ ही साथ वे सैकड़ों सालों से इस अवैध कब्जे व मंदिर नष्ट करने के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। एक अंग्रेज अधिकारी रेवरेंड मैथ्यू एटमोर शेरिंग ने लिखा था, 'यूरोपियनों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि इस्लामवाद या मुहम्मदवाद की यह धारणा अपरिवर्तनीय है। यदि किसी गलती या दुर्योग से भारत एक बार फिर इस्लामवादियों या मुसलमानों के कब्जे में आता है तो सभी चर्चों, कालेजों तथा मिशन संस्थानों को बहुत सस्ते में खरीद लिया जाएगा।' हालांकि, मुसलमानों ने ब्रिटिश भारत में ईसाइयों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, पर एटमोर वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर को गिराने व उसे अपवित्र करने की गुंडागर्दी से इतना आहत थे कि उनको ये कड़े शब्द लिखने पड़े।

रेवरेंड शेरिंग लंदन मिशनरी सोसाइटी के पक्के अनुयाई तथा संभवत: एक सीमा तक कट्टरपंथी धर्म-प्रचारक थे। वे मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी भी थे। लेकिन इसके बावजूद वे इस तथ्य से बहुत आहत थे कि 1658-1707 के बीच मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में वाराणसी के बीस मंदिरों को गिरा दिया गया था। औरंगजेब के शासनकाल में लगभग पूरे उत्तर भारत में इसी प्रकार बड़े पैमाने पर मंदिरों को ध्वस्त किया गया था अथवा उनके स्थान पर मस्जिदें खड़ी कर दी गई थीं। उन्होंने ऐसे नष्ट किए मंदिरों की संख्या हजारों में बताई है जिनको पूरी बेशर्मी के साथ ताकत के बल पर मस्जिदों, मकबरों, दरगाहों या मुसलमानों के लिए ऐशगाहों में बदल दिया गया था। रेवरेंड के दृष्टिकोण से यदि हिंदू 'मुस्लिम शासनकाल' के बारे में कुछ याद करेंगे तो उनको किसी अन्य चीज की तुलना में मुसलमानों की यह 'दंभी गौरव' की भावना, हिंदू धार्मिक स्थलों के प्रति उनका लगातार जारी गुस्सा तथा हिंदू मंदिरों और पवित्र स्थलों का व्यापक विनाश याद आएगा। उन्होंने लिखा था, 'जब हमने यह पता लगाने का प्रयास किया कि मुसलमानों ने बनारस में हिंदुओं की प्राचीन इमारतों के साथ क्या किया तो हम अपनी जांच के नतीजों से आश्चर्यचकित हो गए। हालांकि, आज भी शहर में अनेक मंदिर हैं, पर उनमें से अनेक प्राचीन नहीं हैं।' रेवरेंड शेरिंग ने अपनी खोजों से यह नतीजा निकाला कि दक्षिण भारत को छोड़ कर बाकी भारत में लगभग सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए थे। उनके अनुसार, यह इस्लामी शासन की क्रूरता का एक और प्रमाण है।

यह स्पष्ट है कि मुगल बादशाहों ने हिंदुओं द्वारा विशाल मंदिर बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था और उनको केवल छोटे 'पिंजड़े' जैसे आकार के मंदिर बनाने पर मजबूर किया था, जहां बिना किसी सौंदर्यमूलक मानकों के केवल मूर्तियां रखी जा सकती थीं। इसके परिणामस्वरूप आज भी अनेक हिन्दू दो शताब्दी पहले हुए अपने पूर्वजों की अंधी नकल करते हुए आमतौर से अपने छोटे-छोटे धार्मिक स्थल बनाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि हिन्दुओं को इस्लामी शासनकाल में कितने भयानक आघात का सामना करना पड़ा था और इस्लाम के प्रभाव से हिंदुओं की सोच पर कितना भयानक नकारात्मक प्रभाव पड़ा था।

शेरिंग ने लिखा है कि जहां मुसलमानों के दिल में मक्का तथा ईसाइयों के दिल में येरूशलेम जाने की इच्छा होती है, वहीं हिंदू आमतौर से बनारस जाने की इच्छा रखते हैं। यदि हिंदू पहले अपने किसी शहर को पवित्रतम में पवित्र मानते थे तो वह बनारस था। औरंगजेब ने बनारस का नाम बदल कर 'मुहम्मदाबाद' करने का प्रयास किया था। औरंगजेब ने 17वीं शताब्दी में सभी देवताओं के देवता माने जाने वाले विश्वेश्वर मंदिर को व्यवस्थित रूप से नष्ट करवा दिया था। औरंगजेब द्वारा मंदिर अपवित्र व नष्ट किए जाने के काफी समय बाद नए मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई होल्कर ने कराया था।

जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मुस्लिम शासनकाल में बनारस में बने सारे मंदिर बहुत छोटे-छोटे थे। इससे स्पष्ट होता है कि मंदिरों को नष्ट करने की भावना केवल मूर्ति पूजा से घृणा या उनको लूटने की भावना से ही नहीं थी। मुस्लिम शासक हिंदुओं को अपमानित करना चाहते थे और इसी लिए उनको विशाल मंदिर बनाने पर प्रतिबंध का सामना करना पड़ा था। यदि ऐसा न होता तो इस तथ्य को कैसे समझा जा सकता है कि औरंगजेब द्वारा बनवाई मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर को नष्ट कर ज्ञानवापी या 'ज्ञान के भंडार' से सटा कर बनाई जाती? रेवरेंड शेरिंग ने मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण स्रोत अल बैरूनी का संदर्भ भी दिया है।

अल बैरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। हालांकि, शेरिंग ने अल बैरूनी के कथनों पर संदेह व्यक्त किया है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने यह उल्लेख किया है कि महमूद गजनी भारत पर अपने नवें हमले के दौरान बनारस तक पहुंच गया था। 1194 में शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी कन्नौज के राजा जयचंद को पराजित कर बनारस तक पहुंच गया था जहां उसने एक हजार हिंदू मंदिरों को ध्वस्त कर दिया था। इस प्रकार ज्ञानवापी पर जारी वर्तमान कानूनी लड़ाई से यह तथ्य फिर उजागर होता है कि इस्लामी शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत को छोड़ कर बाकी भारत में हजारों मंदिरों को नष्ट किया गया तथा हिंदुओं द्वारा विशाल मंदिर बनाने पर प्रतिबंध भी लगाया गया।

जलियांवाला बाग कांड से आया था बड़ा बदलाव

सुखदेव सिंह
(लेखक, सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं)

जलियांवाला बाग नरसंहार या अमृतसर नरसंहार, मूल आबादी की एक शांतिपूर्ण सामाजिक-राजनीतिक सभा ने 13 अप्रैल 1919 को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा एक हिंसक प्रशासनिक प्रतिक्रिया से निपटने के लिए 1650 गोलियों से 1000 से अधिक बच्चों, महिलाओं और पुरुषों की हत्या कर दी, जिसकी कड़ी आलोचना हुई और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को विदेशी शासन से पूर्ण स्वतंत्रता के लिए एक स्पष्ट दिशा दी। इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन के धर्मनिरपेक्ष और सर्व-समावेशी चरित्र को रेखांकित किया। जबकि भारत के अन्य हिस्सों में, धार्मिक संघर्ष थे, अमृतसर में हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों ने संवाद करने के लिए अपने धार्मिक दिन (01 अप्रैल को ईद-उल-फितर, 08 अप्रैल को राम नौमी और 13 अप्रैल को बैसाखी) एक साथ मनाने का फैसला किया था। विदेशी शासन के विरुद्ध एकजुट होकर स्वतंत्रता संग्राम का संदेश। स्थानीय आख्यानों के अनुसार, दो स्थानीय नेताओं डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल की गिरफ्तारी और किसी अज्ञात स्थान पर निर्वासन के खिलाफ प्रदर्शन करते समय पुलिस द्वारा मारे गए हिंदुओं सहित उन लोगों के शव खैरुद्दीन मस्जिद में रखे गए थे। उनके अंतिम संस्कार से पहले। इससे पहले 9 अप्रैल, 1919 को रामनवमी के अवसर पर हिंदू, सिख और मुस्लिम एक ही गिलास में पानी पीते थे। इन घटनाओं से ब्रिटिश शासकों में भय व्याप्त हो गया।

13 अप्रैल, 1919 को जो कुछ हुआ उसकी पृष्ठभूमि में विश्व युद्ध के बाद की मुद्रास्फीति, भारी करों और ब्रिटिश भारत सरकार की अन्य दमनकारी नीतियों के कारण लोगों में बढ़ती अशांति थी। 1914 और 1917 के बीच विश्व युद्ध के दौरान, हालांकि ब्रिटिश सेनाओं को ब्रिटिश-भारत सरकार और रियासतों का समर्थन प्राप्त था, पंजाब के गधरियों ने 1857 की तर्ज पर फरवरी 1915 में ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों द्वारा विद्रोह की योजना बनाई थी। विद्रोह, औपनिवेशिक सरकार की जनविरोधी नीतियों का विरोध जो कमजोर योजना के कारण सफल नहीं हो सका। फिर भी, विशेष रूप से पंजाब और बंगाल में और सामान्य तौर पर भारत में

एक मजबूत और औपनिवेशिक-सरकारी माहौल को देखते हुए, पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर की प्रबल वकालत पर, ब्रिटिश भारत सरकार ने डिफेंस ऑफ भारत अधिनियम 1915 नागरिक और राजनीतिक स्वतंत्रता को कम करता है। 1918 में, रूसी बोल्शेविकों के समर्थन से विद्रोह का संदेह करते हुए, सरकार ने भारत में, विशेषकर पंजाब और बंगाल में उग्रवादी आंदोलन के साथ जर्मन और बोल्शेविक संबंधों का आकलन करने के लिए सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की। समिति की सिफारिश पर, 21 मार्च 1919 को अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम 1919 पारित किया गया, जिसे आम तौर पर रोलेट एक्ट कहा जाता है, नागरिक स्वतंत्रता को और सीमित कर दिया गया और सरकार को विशेष शक्तियां प्रदान की गईं, जिससे कथित राजनीतिक आंदोलनकारियों को बिना मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखा जा सके।. भारत के संसाधनों के बदले में युद्ध के बाद के राजनीतिक सुधारों के अपने वादे को तोड़ते हुए सरकार ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भारतीय सदस्यों के विरोध को नजरअंदाज करते हुए जल्दबाजी में अधिनियम पारित कर दिया, जिन्होंने विरोध में इस्तीफा दे दिया। मुहम्मद अली जिन्ना ने वायसराय को लिखा- इसलिए, विधेयक के पारित होने और जिस तरीके से इसे पारित किया गया, उसके विरोध में मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं... जो सरकार शांति के समय में ऐसा कानून पारित करती है या उस पर प्रतिबंध लगाती है, उसे अपनी संपत्ति जब्त करनी पड़ती है। इसका दावा सभ्य सरकार कहलाने का है।

विश्वासघात के रूप में देखे गए इस अधिनियम ने भारतीय नेताओं और नागरिकों को क्रोधित कर दिया। महात्मा गांधी ने हड़तालों (हड़तालों), आर्थिक बहिष्कार और असहयोग में शांतिपूर्ण भागीदारी का आग्रह करते हुए रौलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। रेवलेट एक्ट विरोधी भावना पूरे देश में, विशेषकर पंजाब में इतनी प्रबल थी कि 6 अप्रैल को सत्याग्रह के आह्वान के जवाब में व्यावहारिक रूप से पूरा लाहौर सड़कों पर था। 9 अप्रैल की घटनाओं और 10 अप्रैल, 1919 को स्थानीय नेताओं डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल की हिरासत के बाद, डॉ. सत्यपाल और डॉ. किचलू की रिहाई की मांग करने के लिए एक बड़ी भीड़ एकत्र हुई। विरोध प्रदर्शन में 20-25 भारतीय और चार अंग्रेज़ मारे गये जबकि अन्य घायल हो गये। अमृतसर में माहौल इतना तनावपूर्ण था कि 11 अप्रैल को कूचा कुरिचन में गुस्साई भीड़ ने एक बुजुर्ग अंग्रेजी मिशनरी मार्सेला शेरवुड पर हमला कर दिया। हालाँकि उसी गली के कुछ निवासियों ने उसे बचा लिया, लेकिन हमले से क्रोधित होकर ब्रिगेडियर जनरल आर.ई.एच. डायर ने सज़ा के तौर पर सड़क से गुजरने वाले हर भारतीय को अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगने का आदेश दिया। उन्होंने स्थानीय लोगों की अंधाधुंध सार्वजनिक पिटाई को भी अधिकृत किया। स्वतंत्रता आंदोलन के स्थानीय नेताओं ने 12 अप्रैल को हिंदू कॉलेज में हुई एक बैठक में 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन 6-7 एकड़ खाली भूमि पर फैले जलियां वाला बाग में एक शांतिपूर्ण सार्वजनिक विरोध सभा की योजना बनाई।

13 अप्रैल तक पंजाब के अधिकांश हिस्सों में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। नागरिक स्वतंत्रताओं में कटौती कर दी गई और चार से अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सार्वजनिक बैठकों और समारोहों पर प्रतिबंध लगाने के आदेशों को व्यापक रूप से और ठीक से संप्रेषित नहीं किया जा रहा था। बैसाखी मनाने के बाद कई लोग बाग में आराम कर रहे थे, डॉ. सत्यपाल और डॉ. सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी और निर्वासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। बाकी जैसा कि वे कहते हैं इतिहास है।

आप की बात

मोइज़्ज़ू की जीत

मालदीव में भारत-विरोधी और चीन समर्थक मोईज्जू की जीत में का मतलब यह है कि मालदीव की जनता को मोईज्जू की भारत विरोधी कट्टरता और चीनी खैरातों का ललीपॉप रास आ गया है। ऐसा लगता है कि जनता के बड़े हिस्से ने मोईज्जू को जिता कर चीन की गोद में बैठने का फैसला कर लिया है। इसका अर्थ यह भी है कि चीन ने पाकिस्तान व श्रीलंका की तरह एक छोटे देश को अपने जाल में फंसा कर भारत के लिए परेशानी खड़ी करने का इंतजाम कर लिया है। भारत को मालदीव में परिवर्तन पर गौर करते हुए वहां भारत-समर्थक शक्तियों से संबंध मजबूत करने के साथ ही भारत-विरोधी राजनेताओं पर नजर रखनी होगी। आने वाले समय में यह भी देखना होगा कि क्या चीन भारत-मालदीव आर्थिक संबंधों व खासकर भारतीयों द्वारा मालदीव पर्यटन का बहिष्कार की भरपाई करने में सक्षम होगा? चीन में आम जनता को तुलनात्मक रूप से आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। चीन इससे जनता क ध्यान हटाने के लिए विस्तारवादी व सैन्यवादी नीतियां अपना रहा है। भारत सरकार, विदेश मंत्रालय तथा भारतीय राजनयिकों को मालदीव की वर्तमान स्थितियों पर नजर रखते हुए द्विपक्षीय संबंधों को यथासंभव ज्यादा बिगड़ने से रोकने तथा बेहतर बनाए रखने के प्रयास करने होंगे।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

जम्मू कश्मीर में प्रगति

जम्मू-कश्मीर तेजी से प्रगति के मार्ग पर अग्रसर है। एक समय अलगाववादियों की शह पर आतंकी हमले, पत्थरबाजी, बंद आदि के कारण यहां अराजकता थी, पर आज युवा कश्मीरी सिविल सेवा परिक्षा में परचम लहरा रहे हैं। 2019 से 2023 के बीच कश्मीर के 61 प्रतिभावान युवकों ने सिविल सेवा परिक्षा में सफलता हासिल की। यह अनुच्छेद 370 हटने के बाद संभव हुआ है। इससे स्पष्ट है कि अब आम कश्मीरी युवा तनाव रहित होकर अपने कॅरियर पर ध्यान दे रहा हे। यह इस राज्य में बदलते माहौल का सूचक तथा इस बात का संकेत है कि कश्मीर देश की मुख्य धारा में शामिल होकर सारे देश के साथ प्रगति की कदमताल मिलाने को तैयार है। केंद्र सरकार के साथ ही राज्यपाल मनोज सिन्हा के नेतृत्व में राज्य सरकार चहुंमुखी प्रगति के लिए प्रतिबद्ध है। यहां बड़ी संख्या में उच्च शिक्षा संस्थान खुल रहे हैं तथा सड़क, पुल, अस्पताल एवं रेल नेटवर्क का भी विस्तार हो रहा है। वंचित समुदाय को भी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ मिल रहे हैं। राज्य में कुछ महीने में विधानसभा चुनावों की उम्मीद है। ऐसे में नौजवानों को सतर्क रह कर उन ताकतों को हर हाल में सत्ता में आने से रोकना होगा जिन्होंने धरती के स्वर्ग को नर्क बना दिया था।

– **विमलेश पगारिया,** बदनावर

दु:खद दुर्घटनायें

देश में कहीं खुले मेनहोल तो कहीं खुले बोरवेल अथवा बिना मुंडेर के कुँओं में गिरने से बच्चे ही नहीं बरसात में तो बड़े भी गिरते हैं और उनकी दुखद मौत भी होती है। अखबार और टीवी चैनलों द्वारा शासन-प्रशासन और आम लोगों को सचेत करने के प्रयास भी किये जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद देश में दु:खद दुर्घटनायें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल खुले मेनहोल या खुले बोरवेल अथवा बिना मुंडेर के कुंओं को बंद करवाने या उचित सुरक्षा व्यवस्था करवाने की पूरी जिम्मेदारी ग्राम पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम की होती है किन्तु आश्चर्य की बात है कि आखिर ये खुले क्यों रह जाते हैं? क्या इसके लिए भी प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार को सख्त कानून बनवाने और अमल करवाने पड़ेंगे? आखिर कब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी जिनको से थोड़ी जिम्मेदारी निभा कर रोका जा सकता है? ऐसी घटना होने पर सरकारी अमला हरकत में आता है और यथासंभव पीड़ित को बचाने के प्रयास में जुट जाता है और अक्सर वी सफल भी हो जाता है। स्थानीय प्रशासन तथा आम नागरिकों की सतर्कता से ऐसी दुर्घटनाओं को टाला जा सकता है। सभी लोगों को खासकर यह समझने की जरूरत है कि उनका व उनके बच्चों का जीवन अमूल्य है।

–**शकुंतला महेश नेनावा,** इंदौर

एआई का महत्व

आर्टीफिशियल इंटेलीजेंस-एआई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में निरंतर अग्रणी रहने के लिए बड़े शोधों और संसाधनों की आवश्यकता के लिए सरकार को पर्याप्त धन खर्च करना चाहिए। अन्य क्षेत्रों में तो थोड़ी ढिलाई माफ की जा सकती है, लेकिन एआई में यह संभव नहीं है। चीन जैसे देश एआई का सर्वाधिक उपयोग रक्षा क्षेत्र में कर रहे हैं। संभावना है कि एआई के जरिए चीन अंतरिक्ष में भी युद्ध की संभावनाएं खोज रहा हो। भारत के मुख्य रक्षा प्रमुख-सीडीएस जनरल अनिल सिंह ने भी कहा है कि भविष्य में अंतरिक्ष युद्ध क्षमता बढ़ाना जरूरी होगा। भारत के पास प्रतिभाओं की कमी नहीं है। लेकिन सरकारी सेवाओं में संभवत: आरक्षण के कारण हमारी प्रतिभा का सर्वाधिक उपयोग विकसित देश कर रहे हैं। एआई के शोध में भी कई देशों में भारतीय वैज्ञानिक ही सहयोग कर रहे हैं। एआई के उपयोग से अधिकाधिक क्षेत्रों में न्यूनतम लागत से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के प्रयास करने होंगे। एआई में पिछड़ने का मतलब आर्थिक, सामरिक, शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में पिछड़ने का अंदेशा बना रहेगा।

–**सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण

विद्या से विनय और विनय से पात्रता अर्जित होती है

सैम पित्रोदा का सुझाव

इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने एक बार फिर कांग्रेस के लिए संकट खड़ा करने का काम किया। उन्होंने अमेरिका में विरासत टैक्स का हवाला देते हुए यह कहा कि भारत में ऐसा नहीं है और हमें इस पर बहस करनी चाहिए। उनके इस कथन ने इसलिए तूल पकड़ लिया, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लोगों की संपत्ति के सर्वे का वादा किया है। इसकी व्याख्या भाजपा पहले से ही इस रूप में कर रही है कि कांग्रेस लोगों की संपत्ति का आकलन करके संपन्न-सक्षम लोगों की संपदा का एक हिस्सा लेने का इरादा रखती है। चूंकि सैम पित्रोदा का कथन कुछ इसी ओर संकेत करता दिख रहा था, इसलिए भाजपा ने नए सिरे से उनके बयान को मुद्दा बना दिया। प्रधानमंत्री ने तो उन्हें निशाने पर लिया ही, गृहमंत्री अमित शाह ने भी यह कह दिया कि यदि कांग्रेस वैसा कुछ करने का नहीं सोच रही है, जैसा सैम पित्रोदा कह रहे हैं तो वह अपने घोषणा पत्र से संपत्ति के सर्वेक्षण वाली बात हटाए। पहले सैम पित्रोदा ने अपने बयान पर यह सफाई दी कि उनके कहने का वह मतलब नहीं था, जो समझा गया, फिर कांग्रेस ने स्वयं को उनके कथन से अलग कर दिया। कहना कठिन है कि इस सबसे उसका संकट कम हो जाएगा, क्योंकि सैम पित्रोदा केवल इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि राहुल गांधी के करीबी सलाहकार माने जाते हैं।

यह पहली बार नहीं, जब सैम पित्रोदा के किसी बयान से कांग्रेस को रक्षात्मक रवैया अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा हो अथवा उनके कथन को उनकी निजी राय बतानी पड़ी हो। इसके पहले उन्होंने 1984 के दंगों को लेकर हुआ तो हुआ.. कहकर कांग्रेस को असहज किया था। उनके कुछ और बयान भी विवाद का विषय बने हैं। जब चुनावों के समय छोटी-छोटी बातों को तूल दे दिया जाता है या फिर उनकी मनचाही व्याख्या की जाने लगती है, तब नेताओं को संभलकर बोलना चाहिए। निःसंदेह सैम पित्रोदा अमेरिका का उदाहरण देकर उस पर भारत में बहस की जरूरत जता रहे थे, लेकिन उन्हें गलत समय ऐसा उदाहरण नहीं देना चाहिए था, जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही न हो और जिसके विवाद का विषय बनने की भरी-पूरी आशंका हो। यह तो कांग्रेस ही जाने कि वह संपत्ति के सर्वे के जरिये क्या हासिल करना चाहती है, लेकिन इससे इन्कार नहीं कि देश में आर्थिक असमानता कम करने की आवश्यकता है। इसके बाद भी इस आवश्यकता की पूर्ति न तो वामपंथी सोच वाले तौर-तरीकों से की जा सकती है और न ही उन उपायों से, जो समाज में विभाजन पैदा करें। जो भी निर्धन-वंचित हैं या सामाजिक-आर्थिक रूप से पीछे छूट गए हैं, उनके उत्थान की अतिरिक्त चिंता की जानी चाहिए, लेकिन बिना उनका जाति, मजहब देखे।

व्यवस्था में दोष

उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में शिक्षा सत्र एक अप्रैल से शुरू हो चुका है और छात्र विद्यालय जाना भी शुरू कर चुके हैं, लेकिन अब तक कक्षा एक और दो के विद्यार्थियों को पुस्तकें नहीं मिल पाई हैं तो कहीं न कहीं व्यवस्था का दोष है। जब सत्र शुरू होने का समय निश्चित है तो विद्यालय खुलने के बाद जरूरी चीजों की व्यवस्था पहले से ही होनी चाहिए। छात्र विद्यालय जाएं और यदि उन्हें दो माह तक बिना पुस्तकों के वहां रहना पड़े तो उनमें स्कूल के प्रति उदासीनता पैदा होने लगती है। शायद यही वजह भी है कि हर साल बड़ी संख्या में बच्चे प्रवेश लेने के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। यह अचरज की बात है कि स्कूल खुलने के 20 दिन बाद अब छपाई का आर्डर दिया गया है। अधिकारी यदि यह कहते हैं कि चुनावी आचार संहिता लागू होने की वजह से चुनाव आयोग की अनुमति जरूरी थी तो यह भी विचार किया जाए कि ऐसी स्थिति आई क्यों। अधिसूचना लागू होने से पहले ही यह प्रयास क्यों नहीं किया गया कि पुस्तकों का समय से प्रबंध कर लिया जाए। परिषदीय विद्यालयों में इस सत्र से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) की पुस्तकें पढ़ाई जानी हैं। इन विद्यालयों में कक्षा एक और दो में 42 लाख छात्र पंजीकृत हैं जिन्हें अभी लगभग एक माह तक पुस्तकों का इंतजार करना पड़ सकता है। किताबों का बच्चों पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है और वे सीधे उन्हें स्कूली वातावरण से जोड़ देती हैं। बच्चों की शिक्षा के प्रति लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि हर प्राथमिक विद्यालय पर पुस्तकों के साथ ही बच्चों के ड्रेस व उनकी सामान्य जरूरतों की चीजें समय से उपलब्ध कराई जाएं।

वच्चे सहज ही नई किताबों के प्रति आकर्षित होते हैं इसलिए इसकी उपलब्धता शैक्षिक सत्र शुरू होने के साथ ही होनी चाहिए

चुनावी राजनीति का हिस्सा बनी विदेश नीति

हर्ष वी. पंत

मोदी ने विदेश नीति जैसे विषय को राजनीति की मुख्यधारा में शामिल किया है। उनकी इस नीति की छाप भाजपा के घोषणा पत्र पर भी दिखाई दे रही है

अवधेश राजपूत

भारतीय राजनीति पारंपरिक रूप से घरेलू मुद्दों पर केंद्रित रही है और विदेशी मामलों के स्तर पर बात अमूमन चीन एवं पाकिस्तान तक सीमित रहती आई है। हालांकि नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद यह रवैया बदला है। मोदी ने विदेश नीति जैसे विषय को राजनीति की मुख्यधारा में शामिल किया है। अब उनकी इस नीति की छाप भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र पर भी दिखाई दे रही है, जिसे सत्तारूढ़ दल ने 'संकल्प पत्र' का नाम दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता से लेकर देश को विकसित राष्ट्र बनाने और शीघ्र ही भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनाने के संकल्प की पूर्ति में विदेश नीति की प्रभावी भूमिका रहने वाली है। इसकी महत्ता को समझते हुए भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में विदेश एवं सामरिक नीति को महत्व देते हुए वैश्विक पटल पर भारत के विस्तार को साकार रूप देने संबंधी कई पहलुओं को शामिल किया है। मोदी की नीति में 'विश्वबंधु भारत' और वसुधैव कुटुंबकम् जैसी संकल्पनाएं भारत को विश्वपटल पर एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में स्थापित करने पर बल देती हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत अपनी आर्थिक, सामरिक एवं सांस्कृतिक शक्ति के दम पर वैश्विक विस्तार के प्रयास में लगा है।

मोदी के नेतृत्व में भाजपा का दृष्टिकोण यही दर्शाता है कि भारत को वैश्विक समस्याओं का प्रभावी समाधान प्रस्तुत करने वाले देश के रूप में देखा जाए। इस समय पूरी दुनिया अस्थिरता एवं कोलाहल के दौर से गुजर रही है। वैश्विक ढांचा छिन्न-भिन्न है और अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की आभा कमजोर हो रही है। ऐसे अस्थिर हालात में भारत की स्थिति अपेक्षाकृत स्थिर रही है। इसके पीछे मोदी की सक्रिय विदेश नीति और विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों के साथ उनके सहज एवं आत्मीय संबंधों की अहम भूमिका रही है। अपने इसी प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए भारत कोविड संकट से लेकर रूस-यूक्रेन युद्ध और इन दिनों पश्चिम एशिया में चल रहे हिंसक टकराव से स्वयं को अलग रखने एवं अपने हितों की पूर्ति में सफल रहा है। ऐसी स्थिति में विपरीत ध्रुवों वाले देश भी भारत की ओर उम्मीद लगाकर देख रहे हैं। इस परिदृश्य में भारत ने एक जिम्मेदार देश की भूमिका निभाते हुए अपने स्तर पर समाधान का प्रयास किया है। इससे भारत की अंतरराष्ट्रीय साख एवं कद बढ़ा है। कोविड महामारी के समय से विश्व अंतरराष्ट्रीय संगठनों की अक्षमता की समस्या से जूझ रहा है। हाल के विभिन्न हिंसक टकरावों के दौरान भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की निष्प्रभावी भूमिका देखी गई है। यही कारण है कि मोदी ने विभिन्न मंचों से बार-बार संयुक्त राष्ट्र सुधारों की बात दोहराई है। भाजपा के संकल्प पत्र में भी इसे दोहराया गया है कि सुरक्षा परिषद में सदस्यता प्राप्त कर भारत वैश्विक मामलों में व्यापक भूमिका निभाएगा।

भारी उथल-पुथल के दौर से जूझ रही दुनिया में वैश्विक ढांचा बहुत तेजी से बदल रहा है। नेतृत्व के स्तर पर उत्पन्न हो रहे निर्वात को प्रभावी रूप से भरने के लिए मोदी के नेतृत्व में भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है। गत वर्ष नई दिल्ली में आयोजित जी-20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ को समूह का सदस्य बनाने में मिली सफलता से लेकर ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों के मुद्दों को मुखरता से उठाने तक भारत ने सक्षम नेतृत्वकर्ता का परिचय दिया है। आइएमएफ एवं विश्व बैंक जैसी संस्थाओं में अपेक्षित सुधारों और उसमें विकासशील देशों को उचित प्रतिनिधित्व देने की आवाज उठाने में भारत खासा मुखर रहा है। कोविड महामारी में टीके पहुंचाने से लेकर तुर्किये से लेकर नेपाल और सीरिया तक प्राकृतिक आपदा में भारत ने अपने संबंधों की परवाह किए बिना वहां राहत पहुंचाने में तत्परता दिखाई है। भाजपा के संकल्प पत्र में इसी दृष्टिकोण को दोहराया गया है कि भारत प्राकृतिक या किसी अन्य प्रकार की आपदाओं में सहायता प्रदान करने में आगे रहेगा। इससे भारत के प्रति वैश्विक धारणा सकारात्मक होगी और वह एक स्वाभाविक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरेगा।

चूंकि भारत एक संवेदनशील भौगोलिक क्षेत्र में अवस्थित है तो पड़ोसियों के साथ संबंध भी खासे अहम हो जाते हैं। भाजपा ने 'पड़ोसी प्रथम' की अपनी नीति में निरंतरता का वादा किया है। भाजपा के संकल्प पत्र में उल्लेख है कि पार्टी के शासन में देश भारतीय उपमहाद्वीप में जिम्मेदार एवं भरोसेमंद साझेदार के रूप में समूचे क्षेत्र को प्रोत्साहन की नीति पर चलेगा। इसके साथ ही परेशानी का सबब बनने वाले सीमा पार आतंकवाद और चीन के साथ संतुलन की दृष्टि से प्रभावी कदम उठाने की बात भी की है। भाजपा ने चीन सीमा पर उन्नत बुनियादी ढांचा विकसित करते रहने पर जोर दिया है। साथ ही हिंद महासागर में मुक्त आवाजाही एवं सामुद्रिक सुरक्षा का भी आश्वासन दिया है। पार्टी ने पाकिस्तान सीमा पर भी बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाते रहने का संकल्प लिया है। इसके अलावा, आतंक पर अंकुश के लिए भाजपा ने कांप्रिहेंसिव कन्वेंशन अगेंस्ट इंटरनेशनल टेररिज्म पर संयुक्त राष्ट्र में सर्वानुमति बनाने के लिए प्रयासरत रहने का उल्लेख किया है।

दुनिया भर में फैले भारतवंशियों के प्रभाव को देश के हित में उपयोग करना भी भाजपा के एजेंडे में है। भाजपा के संकल्प पत्र में उल्लेख है कि वह भारत की प्रगति में भारतवंशियों को सक्रिय रूप से शामिल कर उनकी आवश्यकता के समय उन्हें अपेक्षित समर्थन भी उपलब्ध कराएगी। मोदी सरकार के दौरान भारतवंशियों को साधने के विशेष प्रयास भी किए गए हैं। पार्टी का वादा है कि भारत के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को बढ़ाने के लिए राजनयिकों और भारत के मिशनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार से देश के हितों का विस्तार हो रहा है, उनकी पूर्ति के लिए मानवीय संसाधनों का अभाव दिखता है। इसी कड़ी में कुछ दिन पहले ही कई देशों में डिफेंस अटैचियों की नियुक्ति भी की गई है। ऐसे में पार्टी का संकल्प पत्र सरकार की नीति में निरंतरता और क्षमता विस्तार की आकांक्षाओं को ही दर्शाता है।

(लेखक आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में उपाध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

चिकित्सा पद्धतियों में समन्वय जरूरी

देवेंद्र त्रिगुणा

मनोज नेसरी

आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष पद्धतियां विश्व को भारत की एक अद्भुत देन हैं

उपयोगी हैं सभी चिकित्सा पद्धतियां। फाइल

इन दिनों जनता में आयुर्वेद बनाम एलोपैथ की चर्चा हो रही है। यह समझा जाना चाहिए कि चिकित्सा की विभिन्न पद्धतियों में हुई प्रगति ने स्वास्थ्य रक्षा में अपने-अपने स्तर पर योगदान दिया है। आधुनिक शल्य चिकित्सा के जनक एवं आयुर्वेद विद्वान आचार्य सुश्रुत ने 'सुश्रुत संहिता' में लिखा है, 'केवल एकांगिक ज्ञान होने से विषय का वास्तविक ज्ञान नहीं होता।' विज्ञान में व्यापक प्रगति के बावजूद स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में अब भी कई कमियां हैं। आयरन और फोलिक एसिड की निःशुल्क आपूर्ति के बावजूद देश में औसतन लगभग 50 प्रतिशत बच्चे और किशोरियां आयरन की कमी वाले एनीमिया से पीड़ित हैं। देश में मधुमेह रोगी 2009 में 7.1 प्रतिशत से थे, जो 2019 में बढ़कर 8.9 प्रतिशत हो गए। 2021 की तुलना में क्षय (टीबी) रोगियों में भी 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय का व्यय 89,155 करोड़ रु. है, जो कई देशों के कुल बजट से ज्यादा है। इतने व्यय के उपरांत भी कुपोषण, मधुमेह, डेंगू, टीबी आदि व्याधियों में वृद्धि चिंताजनक है। आयुर्वेद, योग और अन्य आयुष पद्धतियां विश्व को भारत की अद्भुत देन हैं। ये पद्धतियां बीमारियों को ठीक करने के साथ उनकी रोकथाम में भी उपयोगी हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की विशेषताओं का संज्ञान लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में आयुष विभाग को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से अलग कर स्वतंत्र आयुष मंत्रालय बनाया। कोविड महामारी ने हमारी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की सीमाओं को दर्शाया था। हमारी जनसंख्या आस्ट्रेलिया, रूस, यूरोप आदि देशों से अधिक है। इतनी अधिक जनसंख्या को कोविड महामारी में सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती का सामना करने के लिए भारत ने आयुर्वेद, योग, सिद्ध, यूनानी आदि की भी सहायता ली। अकेले अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान दिल्ली ने आयुर्वेदिक दवाओं से छह हजार से अधिक कोविड रोगियों का उपचार किया। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर, आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, जामनगर, राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई सहित अन्य संस्थानों और लाखों निजी आयुर्वेद चिकित्सकों ने आयुर्वेद/सिद्ध/यूनानी औषधियों एवं योग के माध्यम से करोड़ों कोविड रोगियों का उपचार किया। हमारी आयुर्वेदिक औषधियों से कई अन्य देश भी लाभान्वित हुए।

आयुर्वेद, सिद्ध आदि औषधियों पर वैज्ञानिक शोध पत्र विभिन्न अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए हैं। हजारों सालों से आयुर्वेद प्रगतिशील शास्त्र रहा, पर 18वीं सदी में अंग्रेजों के समय उसकी प्रगति की परंपरा खंडित हुई। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद, योग, सिद्ध आदि चिकित्सा पद्धतियों की औषधियों और उपचारों को प्रभावी करने के लिए आइआइटी, टाटा कैंसर संस्थान, सीएसआइआर आदि उन्नत संस्थाओं के साथ अनुसंधान शुरू किया है। इसके परिणामों ने आयुर्वेद एवं अन्य आयुष प्रणालियों का वैज्ञानिक आधार और पुष्ट किया है। आयुष मंत्रालय ने जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका, ब्राजील आदि में वैज्ञानिक संगठनों के साथ वायरल संक्रमण, मधुमेह, पार्किंसंस, कैंसर आदि रोगों के आयुर्वेदिक उपचार विकसित करने के लिए अनुसंधान में सहयोग किया है। उसने विश्व स्वास्थ्य संगठन, जी-20, आसियान आदि के साथ भी सहयोग किया है। 24 से अधिक देशों ने आयुर्वेद को पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के रूप में कानूनी रूप से मान्यता दी है। आयुर्वेद उत्पादों का 100 से अधिक देशों में निर्यात किया जाता है। लगभग 150 देशों में योग किया जाता है। कई देशों की स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेद और योग को एकीकृत किया जा रहा है। आयुर्वेद की बढ़ती स्वीकार्यता के कारण ही विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपना पहला 'वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र' स्थापित करने के लिए भारत को प्राथमिकता दी है। आयुर्वेद केवल हर्बल चिकित्सा तक सीमित नहीं है। इसमें काय चिकित्सा (इंटरनेल मेडिसन), शल्य चिकित्सा (सर्जरी), शालाक्य चिकित्सा (ईएनटी) और मनोचिकित्सा आदि भी हैं। आयुर्वेद में हाथियों के लिए हस्त्यायुर्वेद, घोड़ों के लिए अश्वायुर्वेद, गाय-भैंस के लिए गवायुर्वेद, वृक्षों के लिए वृक्षायुर्वेद आदि शाखाएं हैं। आयुर्वेद मानव स्वास्थ्य से लेकर पर्यावरण संरक्षण समेत जीवन के विभिन्न अंगों को समाविष्ट करने वाली एक समग्र ज्ञान प्रणाली है, जिसके प्रशंसक पश्चिम के ख्याति प्राप्त लोग भी हैं।

आयुष का अर्थ है जीवन और उसका उद्देश्य है-रोगों के उपचार के साथ स्वस्थ जीवनशैली और भोजन एवं व्यवहार संबंधी अच्छी आदतों को प्रोत्साहन। आयुष मंत्रालय की भूमिका रोगों के निदान के साथ मानव कल्याण को बढ़ावा देना भी है। आयुर्वेद इस सिद्धांत में विश्वास करता है कि बाहर का प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। संपूर्ण सजीव और निर्जीव सृष्टि का निर्माण पांच तत्वों अर्थात पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश से हुआ है। इन पंच महाभूतों की गुणवत्ता में किसी प्रकार का परिवर्तन हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। हमारा जीवन पर्यावरण, वनस्पति और जीव-जंतुओं के साथ जुड़ा हुआ है। यह अपेक्षित है कि बड़े अस्पतालों के साथ मेडिकल कालेजों में आयुर्वेद और योग के स्वतंत्र विभागों की स्थापना हो। इसी के साथ एलोपैथी, आयुर्वेद, योग एवं अन्य भारतीय चिकित्सा प्रणालियों में समन्वय की भी किया जाए। एकीकृत चिकित्सा प्रणाली से भारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने वाला अग्रिम देश बन सकता है।

(पद्मश्री-पद्मभूषण वैद्य त्रिगुणा अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के पूर्व अध्यक्ष एवं डा. नेसरी भारत सरकार के आयुर्वेद सलाहकार हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

परमार्थ की प्राप्ति

आध्यात्मिक प्रगति के लिए दिशा-निर्देश कहां से मिले? यह मार्गदर्शन हमें उन महापुरुषों से मिलता है, जिन्होंने स्वयं साधना की है और आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ। उनके वचन ही 'आप्तवाक्य' हैं। हर शास्त्र आप्तवाक्य नहीं होता, लेकिन जो आप्तवाक्य है, वही सच्चा शास्त्र है। बाकी सब केवल प्राप्तवाक्य हैं, जिनका उतना मूल्य-महत्व नहीं। मनुष्य को आप्तवाक्य के अनुसार ही चलना चाहिए। आप्तवाक्य वे वचन हैं, जो उन महापुरुषों के हैं, जिन्होंने साधना द्वारा स्वयं को परमात्मा में लीन कर लिया है। वे ही जानते हैं कि परमात्मा क्या चाहते हैं और क्या नहीं। हमें ऐसे मनीषियों के बताए मार्ग पर ही चलना चाहिए।

महाज्ञानी बनने से भगवान नहीं मिलते, बल्कि सच्ची भक्ति से ही उन्हें पाया जा सकता है। हर कर्म के लिए दृढ़संकल्प की आवश्यकता होती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। बुरे काम के लिए जिद करने वाले खतरा बन जाते हैं, वहीं अच्छे काम के लिए जिद करने वाले महान बन जाते हैं। उनकी प्रगति कोई नहीं रोक सकता। परमार्थ की प्राप्ति के लिए भी इसी प्रकार की जिद आवश्यक है, 'मैं अवश्य पाऊंगा, पाकर रहूंगा।' यह जिद एक प्रकार का आध्यात्मिक उन्माद है, जहां आदर्श के लिए सब कुछ न्योछावर करने की तत्परता होती है।

जीवन में किसी भी क्षेत्र में दुविधा नहीं होनी चाहिए। जहां दो चीजें हों, वहां एक को चुनना और दूसरे का त्याग करना ही समझदारी है। मनुष्य के जीवन का एकमात्र व्रत है परमपुरुष को प्राप्त करना, इसके अलावा कोई दूसरा व्रत नहीं हो सकता। हमें ईश्वर के स्वरूप को लेकर किसी दुविधा में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि एक ही लक्ष्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए। इससे हमारी एकाग्रता भी बनेगी और आस्था के प्रति कोई प्रश्न नहीं उठेगा। हमें ऐसे विचारों को अपनाना चाहिए, जो धर्म पर आधारित, व्यावहारिक और तर्कसंगत हों। तभी व्यक्तिगत आध्यात्मिक प्रगति और समाज का कल्याण संभव है।

श्री श्री आनंदमूर्ति

दुष्कर्म पीड़िता के हित में निर्णय

सुनीता मिश्रा

नाबालिग लड़कियों के विरुद्ध दुष्कर्म के एक मामले में पीड़िता के हित में न्यायालय का निर्णय

उच्चतम न्यायालय ने एक 14 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के हित में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए उसे 30 सप्ताह का गर्भ गिराने की अनुमति दी है। शीर्ष अदालत ने मेडिकल रिपोर्ट को देखने के बाद यह आदेश दिया, जिसमें कहा गया है कि गर्भावस्था जारी रहने से नाबालिग के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। वस्तुतः नाबालिग की मां ने बांबे हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें दुष्कर्म पीड़िता को गर्भपात कराने की मंजूरी नहीं दी गई थी।

इससे पहले वर्ष 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग लड़कियों को भी मेडिकल टर्मिनेशन आफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) एक्ट के प्रविधानों के तहत लाभ दिया था। इसके तहत गर्भपात कराने वाली नाबालिग लड़कियों की पहचान उजागर करने से डाक्टरों को छूट प्रदान की गई है। यही नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने एमटीपी एक्ट, 2021 के तहत 20 से 24 हफ्ते के बीच नाबालिग, अविवाहित और लिव-इन में रहने वाली महिलाओं को गर्भपात कराने का अधिकार दिया है।

उल्लेखनीय है कि भारत में पहली बार वर्ष 1971 में गर्भपात कानून पारित किया गया था, जिसे एमटीपी एक्ट 1971 नाम दिया गया। इस एक्ट में वर्ष 2021 में संशोधन कर गर्भपात की समय सीमा 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह कर दी गई। एमटीपी (संशोधन) एक्ट 2021 के अनुसार, गर्भवती महिला 24 सप्ताह तक गर्भपात करा सकती है। एक्ट में 24 सप्ताह से अधिक का गर्भ गिराने की अनुमति केवल विशेष परिस्थितियों में दी गई है। वस्तुतः अजनबियों और रिश्तेदारों द्वारा नाबालिगों के यौन शोषण एवं दुष्कर्म की घटनाएं सामने आती रहती हैं। कई मामलों में नाबालिग लड़कियां गर्भवती हो जाती हैं। ये बच्चियां कम उम्र होने के कारण यौन शोषण करने वाले या दुष्कर्मी द्वारा किए जा रहे अपराध से अंजान होती हैं। इसलिए वे डर से चुप रहती हैं। इन मामलों में नाबालिग लड़कियों के अभिभावक को गर्भावस्था के बारे में देर से पता लग पाता है। ऐसी घटनाओं से नाबालिग बच्चियों को सुरक्षित रखने के लिए वर्ष 2012 में पाक्सो (प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रन फ्राम सेक्सुअल आफेंस) एक्ट लाया गया था। ये कानून 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों दोनों पर लागू होता है।

यह चिंता का विषय है कि इतने कड़े कानून के बावजूद देश में नाबालिग लड़कियों से दुष्कर्म के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उसे 30वें हफ्ते में गर्भपात कराने की अनुमति देकर स्वागत योग्य फैसला सुनाया है। लेकिन इसके साथ ही बच्चियों के खिलाफ होने वाले हर अपराध पर पैनी नजर रखने की भी आवश्यकता है, ताकि किसी भी मासूम को कम उम्र में यह सब न सहना पड़े।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

जनभावना का सम्मान आवश्यक

'बंद करें जनता पर प्रत्याशी थोपना' शीर्षक से लिखे आलेख में राजीव सचान ने जिस लोकतांत्रिक विडंबना का जिक्र किया गया है, वह बिंदु उन सभी राजनीतिक दलों के लिए विचारणीय होना चाहिए जो विधानसभा और लोकसभा चुनाव हेतु प्रत्याशी चयन में जनभावना की अनदेखी कर अपने गुणा-भाग से प्रत्याशी तय कर देते हैं। लोकतंत्र में जनभावना का सम्मान होना ही चाहिए। बावजूद इसके कुछ राजनीतिक दल प्रत्याशी चयन में जनभावना को दरकिनार कर अपने परिवारजनों को वरीयता देते हैं तो कुछ टिकटों का मोलभाव करते दिखाई देते हैं। कभी-कभी टीवी-सिनेमा और खेल जगत के किसी दिग्गज को प्रत्याशी बनाकर चुनावी रण में उतार दिया जाता है तो कभी व्यक्ति विशेष की ऊपरी साठगांठ और पहुंच के चलते ऐसे व्यक्ति को प्रत्याशी बना दिया जाता है, जिसकी कार्यशैली को लेकर अपने ही क्षेत्र में खासा विरोध होता है। दलीय निष्ठा से बंधे पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता उस समय खुद को ठगा सा महसूस करते हैं जब निहित स्वार्थवश दल-बदल कर पार्टी में शामिल हुए व्यक्ति को पुरस्कृत करने के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है। पार्टी नेतृत्व की अतिशय लोकप्रियता और मतदाताओं की दलीय निष्ठा के दोहन से ऐसे प्रत्याशी भले ही चुनाव जीत जाएं, लेकिन जनता से सीधा जुड़ाव न होने के कारण वे अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने में सर्वथा असमर्थ ही रहेंगे। लोकतंत्र में चुनाव जीतना ही लक्ष्य नहीं होना चाहिए, अपितु जनभावना का आदर भी जरूरी है। हालांकि, लगभग हर छोटे-बड़े राजनीतिक दल में जनभावना के विपरीत प्रत्याशी थोपने का चलन सा हो गया है। देश की जागरूक जनता को अपने मताधिकार से इस लोकतांत्रिक विद्रूपता पर अंकुश लगाने की जरूरत है।

pandeyvp1960@gmail.com

मेलबाक्स

वैश्विक उत्पादन का केंद्र बने भारत

कई समस्याओं का एक समाधान- शीर्षक लेख में विकास सारस्वत भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनने के सपने में आने वाली बड़ी चुनौतियों के बारे चर्चा करते हुए नरेन्द्र मोदी की सरकार द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में इस दिशा में उठाए गए कदम को महत्वपूर्ण बताया है। वस्तुतः नरेन्द्र मोदी सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने का संकल्प लिया है। यह संकल्प भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और देश को एक नई दिशा में ले जा सकता है। वर्तमान सरकार ने अगले कार्यकाल में देश को पांच लाख करोड़ डालर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसे हासिल करना वास्तव में एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए देश को एक बड़े उत्पादन केंद्र के रूप में विकसित करना होगा। भारत को चीन से मुकाबला करने और वैश्विक उत्पादन केंद्र बनने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। चीन ने अपने उत्पादन क्षेत्र को उन्नत किया है, जिसके कारण वह वैश्विक उत्पादन केंद्र बन गया है। वहीं दूसरी ओर, चीन के साथ व्यापार घाटा भी भारत के लिए एक समस्या है। भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने के लिए नीतियों में बदलाव की आवश्यकता है। इसमें आयात शुल्क को सरल करना, निर्यात को बढ़ावा देना और उत्पादन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना शामिल है। उद्योगों को निर्यात केंद्रित बनाना और उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देना भी महत्वपूर्ण है। चीन ने अपने विकास के लिए अमेरिकी और अन्य देशों के निवेश का लाभ उठाया। भारत को भी अपनी नीतियों में सुधार करके विदेशी निवेश को आकर्षित करना चाहिए। चीन की तरह, भारत को भी अपने सामाजिक और आर्थिक तंत्र को उन्नत करना चाहिए। लोकलुभावन चुनावी वादों के बीच भारत को अपनी नीतियों में सुधार करना चाहिए। भारत को वैश्विक उत्पादन केंद्र बनाने का सपना सच हो सकता है, यदि सरकार और उद्योग जगत मिलकर काम करें, नीतियों में सुधार, विदेशी निवेश को आकर्षित करना और उत्पादन क्षेत्र को उन्नत करना ही भारत को इस दिशा में आगे बढ़ने में मदद करेगा।

awanishg30@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

समान आय वितरण

भारत में असमानता शुरू से ही अकादमिक विषय रही है, पर इस विषय का सियासत में अचानक गूंज उठना बहुत हद तक सुखद भी है और विचारणीय भी। कोई दोराय नहीं कि किसी सरकार की नीतियों की वजह से ही किसी देश में आर्थिक असमानता बढ़ती है और भारत में आजादी के पहले से ही घोर असमानता रही है। मगर इधर आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के बाद आर्थिक असमानता बढ़ी है। अतः ऐसे में आय के पुनर्वितरण की चर्चा शायद गलत नहीं कही जाएगी। इस पर हरेक पार्टी का अपना-अपना नजरिया हो सकता है। फिलहाल, सत्ता पक्ष और विपक्ष का इस मोर्चे पर परस्पर भिन्न विचार अचरज में नहीं डालता है। खासकर, कांग्रेस के घोषणापत्र के बाद यह विषय उसके विरोधियों के लिए एक हथियार बन गया है। वैसे, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस पर सफाई दी है कि देश के जिन चुनिंदा 22 अमीरों या कंपनियों को सरकार की ओर से 16 लाख करोड़ रुपये की राहत मिली, उसमें से थोड़ी सी राशि उनसे वापस लेकर देश के 90 प्रतिशत लोगों या गरीबों में वितरित कर दी जाएगी।

मतलब, कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि आय-पुनर्वितरण का विषय चंद उद्यमियों तक सीमित है, जिनसे धन वापस लेकर गरीबों में बांटा जाना है। काश! यह विषय वाकई गंभीर विमर्श का विषय बन पाता। दरअसल, हमारे देश में तमाम राजनीतिक पार्टियां बड़े उद्यमियों या बड़ी कंपनियों से चंदा लेती हैं, तो स्वाभाविक है, उनसे बहुत कड़ाई की उम्मीद नहीं की जा सकती। कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) का उदाहरण तो हमारे सामने है। सरकार सीएसआर के तहत कंपनियों के मुनाफे का एक छोटा हिस्सा वसूलना चाहती थी, पर कंपनियां इसके लिए तैयार नहीं हुईं। तब कंपनियों को ही कहा गया कि वे मुनाफे का करीब दो प्रतिशत हिस्सा समाज-कल्याण पर स्वयं खर्च करें और सरकार को केवल सूचना दे दें। हमारे देश में भले ही लोक-कल्याण की राजनीति होती है, पर देश मूलतः पूंजीवादी स्वभाव रखता है। ऐसे में, साल 2000 के बाद भारत में असमानता तेजी से बढ़ रही है। एक प्रतिशत सबसे अमीर लोगों के पास देश की 22 प्रतिशत से ज्यादा आय और 40 प्रतिशत से ज्यादा संपत्ति है। एक विकासशील देश में ऐसी असमानता निश्चित रूप से राजनेताओं का प्रिय विषय बने, तो इससे देश को लाभ होगा। आगामी सरकारों को देर-सबेर यह मुद्दा वाकई गंभीरता से उठाना पड़ेगा, इस पर कोरी राजनीति देश के किसी काम नहीं आएगी।

भारत जैसे विकासशील देश में ऐसी आर्थिक असमानता निश्चित रूप से राजनेताओं का प्रिय विषय बन जाए, तो इससे देश को ही लाभ होगा।

ठीक इसी तरह विरासत कर का मुद्दा भी अचानक उभर आया है। विरासत कर अमेरिकी अर्थव्यवस्था का एक पहलू है, जहां किसी अमीर व्यक्ति के निधन के बाद उसकी संपत्ति का पूरा हिस्सा उत्तराधिकारी तक नहीं जाता है, करीब 55 प्रतिशत हिस्सा सरकार ले लेती है। सच्चे पूंजीवादी देशों में शेयर की भावना प्रबल होती है, जबकि कथित क्रोनी कैपिटलिज्म में कमाई को लोग शुद्ध रूप से निजी पुरुषार्थ मानते हैं। यह संजीदा विषय है, भारत में इसकी चर्चा लोगों को नाराज कर सकती है, लेकिन यह विषय इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा ने कभी उठाया था और आज उनकी निंदा हो रही है। कांग्रेस ने उनकी टिप्पणी से पल्ला झाड़ लिया है, पर उसे सियासी नुकसान हो सकता है। भाजपा ने इसे मुद्दा बना लिया है। हालांकि, सियासत अक्सर समस्याओं के बखान में ज्यादा खर्च होती है, क्योंकि समाधान के रास्ते लंबे होते हैं, पर ये रास्ते देर-सबेर तय करने पड़ेंगे।

मुस्लिम सियासत को चाहिए नई जुबान

फहद जुबेरी | शोध विद्वान, ऑक्सफोर्ड

दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी इस चुनावी मौसम में मतदान कर रही है। अनेक कारण हैं, जिनसे समुदाय विशेष ने चुप्पी धारण कर रखी है। आखिर क्या करना चाहिए?

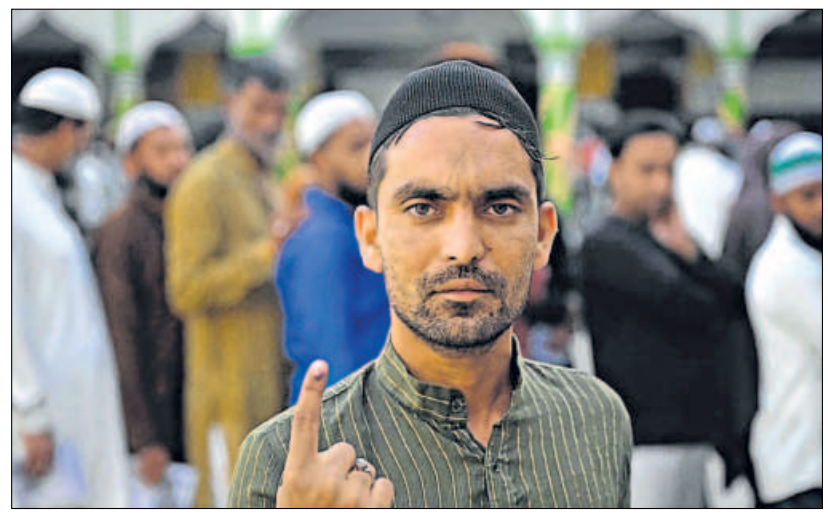

लोकसभा चुनाव के पहले चरण के समाप्त होने के बाद कई रिपोर्टों ने बताया कि मुसलमान इस चुनाव में रणनीतिक चुप्पी बरत रहे हैं। इसमें ध्रुवीकरण को रोकने के लिए उकसावे की किसी स्थिति में चुप्पी बनाए रखना, भारतीय जनता पार्टी को सीट-दर-सीट हराने के लिए स्थानीय उम्मीदवारी के मुताबिक रणनीतिक रूप से बड़ी तादाद में मतदान करना शामिल है। इस घटना से बड़े पैमाने पर लोकतांत्रिक दुनिया को चिंतित हो जाना चाहिए। सबसे पहले, यह हमें बताता है कि मुस्लिम मतदाताओं ने इस तथ्य को मंजूर कर लिया है कि लोकतंत्र में उनकी राजनीतिक भागीदारी सिर्फ बहुसंख्यक राजनीति से सुरक्षित रहने तक सीमित है। अधिकतर मुस्लिम शायद उन उम्मीदवारों को वोट देंगे, जो भाजपा को मजबूत चुनौती देते हुए दिखेंगे।

यहां मुस्लिम वोट एक किस्म के संभावित खतरे का बंधक है और इसका कोई सियासी महत्व नहीं है। मुसलमान महज तरक्की के वादों के लिए अपने वोट का सौदा नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि उनकी मौन उपेक्षा हुई है, जिसका उन्हें बदला लेना है।

उनकी चुप्पी यह भी दिखाती है कि मुसलमानों में दोहरी चेतना विकसित हो गई है, जहां उन्हें लगता है कि वे भारतीय समाज के ध्रुवीकरण में योगदान करते हैं, इसलिए उन्हें यह यकीन है कि उनकी चुप्पी ध्रुवीकरण को कम कर देगी। सच तो यह है कि अक्सर ध्रुवीकरण को निशाना बनाया जाता है और इससे फायदा भी उठाया जाता है। यह स्थिति बहुसंख्यकों के लिए नैतिक बदलाव और पिछले दशक में भारत द्वारा महसूस की गई दूरियों की जिम्मेदारी लेने में उनकी नाकामी की ओर भी इशारा करती है। यह चुप्पी हमें बताती है कि मुसलमान सामने नजर आने वाली सियासी भागीदारी से डरते हैं। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। पिछले दशक में कुछ जगहों पर मुस्लिमों के सियासी कदमों को राज्य का प्रतिकूल रवैया भी झेलना पड़ा है। कुछ उदाहरणों को छोड़ दीजिए, तो आज भी मुस्लिमों के अधिकार चुनावी मुद्दे नहीं बन सके हैं। इस चुप्पी और राजनीतिक उपेक्षा के सामने युवा मुसलमानों को आज सियासत की एक नई भाषा या जुबान विकसित करनी पड़ेगी। अव्वल तो हमें उस ऐतिहासिक मान्यता को नामंजूर कर देना होगा, जिसके तहत यह समुदाय भारत में रहे मुस्लिम बादशाहों और आज के मुसलमानों को जोड़कर देखता है।

गौर कीजिए, संघ परिवार द्वारा बनाए गए नजरिये को अगर देखें, तो वह भारत के मुस्लिम बादशाहों को बाहरी आक्रमणकारी के रूप में ही पेश करता है और आज के मुसलमानों को ऐतिहासिक आक्रांताओं के ध्वजवाहक के रूप में चित्रित करता है। यह सोच, मुसलमानों को एक ऐसे कोने में धकेल देती है, जहां बहस का महज एक मकसद रह जाता है, समुदाय का अलग-थलग हो जाना। जरूरी है कि मुसलमान इस जाल को तोड़ फेंकें और इस हकीकत का इजहार करें कि मुस्लिम बादशाहों के साथ उनका उतना ही जुड़ाव है, जितना बाकी हिंदुओं का है।

भारत में मुस्लिम शासन ने सामान्य रूप से भारतीय तहजीब में बड़ा योगदान दिया है और उसे आकार भी। बदलाव के ये तमाम सांस्कृतिक आकार-प्रकार भारतीय हैं, सिर्फ मुस्लिम नहीं। मिसाल के लिए, उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जुबान नहीं है, बल्कि भारत की एक स्थानीय भाषा है। इस विशेष समुदाय की राजनीति को आज आधुनिक राष्ट्र के साथ तालमेल कर चलना चाहिए। राष्ट्र की मुख्यधारा में अपना दावा पेश करना चाहिए। देश की एक जातीय-राष्ट्रवादी राजनीति आधुनिक भारत में मूल निवास के दावे के साथ हिंदुओं की श्रेष्ठता को स्थापित करने की कोशिश करती रहती है। इस कहानी में यदि कोई मुसलमान अपनी हिंदू विरासत को मंजूर करता है, तो उसे घर वापसी के लिए कहा जाता है। दूसरी ओर, अगर वह अपने पूर्वजों को हिंदू नहीं मानता, तो इसका सीधा मतलब है कि उसके पूर्वज बाहर से आए थे और उन्होंने हिंदुओं पर निर्मम आक्रमण किया था। कुछ लोगों की कोशिश हो सकती है कि किसी भी तरह से मुसलमानों को भारतीय राष्ट्र से संबंधित होने से वंचित कर दिया जाए।

मुस्लिम सियासत की नई जुबान जातीय-राष्ट्रवादी बुनियाद को खारिज कर दे और आधुनिक राष्ट्र-राज्य पर समान दावा पेश करे। इस नई जुबान में इतिहास को समाप्त कर देना चाहिए और हक का दावा समकालीनता में निहित होना चाहिए। 13 अगस्त, 1947 से पहले जाने की जरूरत नहीं है। एक और बात, मुस्लिम राजनीति की नई जुबान को एकजुटता की राजनीति का विकास करना चाहिए और अपनी अलग पहचान की राजनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए।

इधर, अनेक विद्वानों ने मुस्लिमों द्वारा चुनाव में एकमुश्त वोट की आलोचना की है। एक शोध से यह पता चला है कि मुसलमानों ने 2019 के आम चुनाव के बाद से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज्यादा एकजुटता से मतदान किया है। इस समुदाय की सियासी दिशा को एक सामाजिक चेतना में तब्दील होना चाहिए, जो व्यापक समाज की एकजुटता पर आधारित हो। डॉक्टर आंबेडकर का मैत्री का विचार, उत्तर प्रदेश में कांशीराम की बहुजन भाषा और गुजरात में माधव सिंह सोलंकी की कोली क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुस्लिम की मिली-जुली राजनीति प्रेरणा के अच्छे उदाहरण हैं।

एकजुटता की राजनीति साझा पहचान पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ऐसे गठबंधनों को सक्षम बनाती है, जो राजनीतिक सहानुभूति के आधार पर सभी पहचानों को तोड़ सकते हैं। हर समुदाय से खुद को जोड़कर देखना होगा। उदाहरण के लिए, जब छत्तीसगढ़ में किसी चर्च पर हमला होता है, तो एकजुटता महसूस करने के लिए एक मुसलमान का ईसाई होना जरूरी नहीं है। मुस्लिम राजनीति हर पूजा स्थल के लिए समान रूप से आवाज उठाए। देश के प्रति सहज सहानुभूति वास्तव में पूरे समाज में व्यापक रूप से राजनीतिक प्रेरणा का काम करेगी। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी इस चुनावी मौसम में मतदान कर रही है, अनेक कारण हैं, जिनसे समुदाय विशेष ने चुप्पी धारण कर रखी है। उपेक्षा से पैदा हुआ शून्य ही शायद इस समुदाय को नई सोच, नई सियासत के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही, बहुसंख्यक प्रधान भारत में भारतीय मुस्लिम होने का मतलब समझाएगा।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

हिमालय पर पल-पल सिमटते विशाल हिमनदों को बचाइए

कालाचांद साईं | निदेशक,हिमालयन भूविज्ञान संस्थान

गंगोत्री, मोटर मार्ग से पहुंचने का आखिरी पड़ाव है। इससे आगे गोमुख की तरफ जाने की तमन्ना रखने वालों को पैदल सफर करना होता है। गंगोत्री नेशनल पार्क के बीचोबीच भागीरथी का बायां किनारा चौदह किलोमीटर का रास्ता नापकर आपको भोजबासा पहुंचा देता है। सफर के बीच के मनोहारी दृश्य पदयात्रा की थकान को कम कर देते हैं, लेकिन अत्यधिक ऊंचाई के कारण भोजबासा पहुंचते-पहुंचते दम फूलने लगता है। भारी थकावट के बावजूद ऑक्सीजन की कमी से वहां नींद नहीं आती। इस कठिन यात्रा में पांच किलोमीटर और चलकर आप गंगोत्री ग्लेशियर देख पाते हैं। पर्यावरण प्रेमियों की नींद इस कारण उड़ी हुई है कि गंगोत्री ग्लेशियर निरंतर पिघलते हुए पीछे खिसकता चला जा रहा है। इस ग्लेशियर को बचा न सके, तो गंगा का क्या होगा?

वर्षों से इस खतरे की बात होती रही है। समूचे हिमालय के ग्लेशियरों पर संकट साफ नजर आ चुका है, परंतु उनके सिकुड़ने की चिंता के बीच नया संकट हमारे सामने है। प्रदूषण और तापमान में धीरे-धीरे हो रही बढ़ोतरी के कारण बर्फ पिघलने से हिमनदों के बीच हजारों नई झीलें आकार ले चुकी हैं या फिर उनका आकार बड़ा हो गया है। देहरादून के वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान का अध्ययन यह निष्कर्ष निकाल चुका है और इसरो की ताजा चर्चित रिपोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की है। ऐसी झीलों का मुहाना अचानक खुलने से खतरनाक बाढ़ आ सकती है।

वाडिया हिमालय भू-विज्ञान संस्थान का अध्ययन यह निष्कर्ष निकाल चुका है और इसरो की ताजा रिपोर्ट ने भी इसकी पुष्टि की है।

हिमालयन रिवर बेसिन में कुल करीब 28,043 ग्लेशियर झीलें हैं, इनमें से 23,167 झीलें पांच हेक्टेयर से छोटी हैं। लंबे समय से हिमालय पर रिसर्च के दौरान पाया गया कि प्रतिवर्ष दो से 51 मीटर की रफ्तार से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ऐसे में, इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि अगले 100 साल में कई छोटे ग्लेशियरों का अस्तित्व मिट जाएगा और बहुत से पिघलकर आधे रह जाएंगे। पिघलते हिमनदों के कारण ग्लेशियर झीलों का दायरा बढ़ रहा है। ग्लेशियर के पतले होने की औसत दर साल 2000 से 2020 के बीच करीब तीन गुना बढ़ी है। ग्लेशियर ही पूरे साल नदियों को पानी देने में मददगार हैं। इनके जरिये बाकी जलस्रोत भी रीचार्ज होते हैं। ग्लेशियरों की क्षति या उनके आकार-प्रकार में बदलाव से सदानीरा नदियों को पानी के संकट का सामना करना पड़ जाएगा। नदियों का अस्तित्व ग्लेशियरों से जुड़ा है।

ग्लेशियरों के पिघलने के पीछे दो कारण हैं। पहला, ग्लोबल और दूसरा स्थानीय। पहला कारण ग्लोबल है। सारी दुनिया में तापमान बढ़ रहा है, उसका असर हिमालय पर स्वाभाविक रूप से दिख रहा है। संसार के एक देश के प्रदूषण का प्रभाव हजारों किलोमीटर दूर दूसरे देश को भी झेलना पड़ता है। वाडिया इंस्टीट्यूट के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर पीएस नेगी का एक रिसर्च बताता है कि यूरोप से तेज हवाओं के साथ उड़कर आया उद्योगों का कार्बन हिमालयी बर्फ की सतह पर चिपका पाया गया। इस तरह के प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग के कारणों को रोकना स्थानीय नागरिकों या सरकार के लिए संभव नहीं है। दूसरा कारण स्थानीय है। हिमालयी राज्यों में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। नैनीताल एरीज की रिसर्च का परिणाम बड़ी चेतावनी के रूप में सामने आया है। यह शोध बताता है कि पहाड़ों पर कुल प्रदूषण में से 80 फीसदी हिस्सा मोटर वाहनों से निकलने वाले धुएं का है। दस साल में वाहनों की तादाद दो सौ गुना बढ़ गई है। इसका दुष्प्रभाव सीधा हिमालय की सेहत पर पड़ रहा है। पहाड़ पर भारी मशीनरी का बेधड़क इस्तेमाल, जंगलों में तेजी से बढ़ती मानव गतिविधियां, जंगलों की आग के अलावा बड़े पैमाने पर नदियों में पड़ रहा मलबा हिमालय के समूचे प्राकृतिक तंत्र को रौंद रहा है।

अब सवाल उठता है कि क्या इन दुष्प्रभावों को रोकने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं? जवाब है- तबाही से बचने के लिए हमें दीर्घकालिक योजनाओं पर आज से ही सोचना होगा, कल देर हो जाएगी। पर्यावरण आधारित विकास को प्रोत्साहित करना होगा। सही और समेकित विकास का रास्ता पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाकर भी तैयार किया जा सकता है। दौड़ती-भागती दुनिया अगर ग्लेशियरों के पिघलने की रफ्तार नहीं रोक पाई, तो इसके भयावह नतीजे निकलेंगे।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

सम्राट की तरह जीवन

आध्यात्मिक होने का अर्थ है, अपने भीतर एक सम्राट होना। जीने का यही एकमात्र तरीका है। क्या कोई व्यक्ति सचेतन यह चुनेगा कि उसे अपनी जरूरत की हरेक वस्तु किसी व्यक्ति या अन्य स्रोत से मांगनी पड़े? हो सकता है कि विवशतावश उसे कोई वस्तु मांगनी पड़ जाए, लेकिन जान-बूझकर क्या कोई ऐसा चुनाव करेगा? क्या हर व्यक्ति वैसा नहीं होना चाहेगा, जहां वह शत-प्रतिशत अपने भीतर हो?

इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको पूरी तरह से आत्म-निर्भर होना है। पारस्परिक निर्भरता हमेशा बनी रहती है, लेकिन आपके भीतर हर चीज उपस्थित है; आपको बाहर नहीं खोजना है। यहां तक कि आपको किसी के भी साथ की जरूरत नहीं है। अगर दूसरे व्यक्ति को इसकी जरूरत है, तो आप उसे देंगे, लेकिन स्वयं में आपको किसी व्यक्ति की संगत की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ यह है कि अब आप अपने अंदर भिखारी नहीं रहे। केवल बाहरी जरूरतों के लिए हो सकता है कि आपको बाहर संसार में जाना पड़े। यही परम स्वतंत्रता है।

अध्यात्म पालतू बिल्लियों के लिए नहीं है। आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप यह सोचते हैं कि आप आध्यात्मिक हो सकते हैं; तो ऐसा नहीं है। अगर आप संसार का कोई भी काम कर सकते हैं, तो एक संभावना बनती है कि आप अध्यात्म के लायक बन सकें, अन्यथा नहीं। अगर इस संसार के किसी भी काम को लेकर उसे अच्छी तरह करने की शक्ति और साहस आपके पास है, तब आपके आध्यात्मिक होने की उम्मीद की जा सकती है। जिनमें कोई दूसरा काम करने का सामर्थ्य नहीं है, यह उन लोगों के लिए नहीं है।

इन दिनों पूरे देश का, संभवतः पूरे संसार का भी यही मानना है कि निकम्मे और नालायक लोग ही आध्यात्मिक बन जाते हैं, क्योंकि तथाकथित आध्यात्मिक लोग ऐसे ही बन गए हैं। वे लोग, जो जीवन के उतार-चढ़ाव को नहीं सह सकते और जिनमें कोई काबिलियत नहीं है, वे किसी मंदिर के सामने बैठ जाते हैं और उनका जीवन गुजर जाता है। यह आध्यात्मिकता नहीं, यह भीख मांगना है। अगर आपको अपनी चेतना पर विजय प्राप्त करनी है, चेतना के शिखर पर पहुंचना है, तो आप एक भिखारी बनकर वहां कभी नहीं पहुंच सकते।

गौतम बुद्ध ने केवल भोजन के लिए भिक्षा मांगी, शेष चीजों में वह आत्मनिर्भर थे। एक आध्यात्मिक व्यक्ति अन्य सभी चीजें अपने भीतर से अर्जित करता है।

याद रखिए, भिक्षुक दो तरह के होते हैं- गौतम बुद्ध और उनकी श्रेणी के लोग श्रेष्ठतम भिक्षुक हैं। दूसरे सभी निपट भिखारी हैं। बुद्ध ने केवल भोजन के लिए भिक्षा मांगी, शेष चीजों में वह आत्म-निर्भर थे। एक आध्यात्मिक व्यक्ति अन्य सभी चीजें अपने भीतर से अर्जित करता है। आप जिसे भी रहने का बेहतर ढंग मानते हैं, उसी तरह से रहें। आप जिस भी ढंग से जीने को सशक्त मानते हैं, उसी तरह जिएं!

सद्गुरु जग्गी वासुदेव

द्रौपदी मुर्मु | राष्ट्रपति, भारत

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले 25 अप्रैल, 1949

भारतीय-विरोधी कानून

कोलम्बो, २४ अप्रैल। लंका की भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री के. राजलिंगम ने कल कांग्रेस के नौवें अधिवेशन में भाषण करते हुए कहा कि ''हम अपनी इस पूर्व मान्यता पर दृढ़ता से कायम रहेंगे कि इस देश में बसे हुए भारतीय इस देश के उसी प्रकार स्थायी निवासी हैं जिस प्रकार कि तथाकथित देशी लोग। हमें इस विषय में शंका नहीं रहनी चाहिए और दुनिया की कोई ताकत अपनी मनमानी से हमारा यह अधिकार नहीं छीन सकती।''

श्री राजलिंगम ने, जो कि लंका की लोकसभा के सदस्य भी हैं, कहा : ''आज हमें बेचैन करने वाले लंका की पार्लमेंट के वे दो ऐक्ट हैं, जिनमें यह बताया गया है कि इस देश में बसे हुए भारतीय किस प्रकार नागरिकता के अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में भारत सरकार के निश्चित विचारों तथा हमारे कड़े प्रतिरोध के बावजूद ये स्वीकार किये गये। हमें आशा है कि अब भी समझदारी से काम लिया जायेगा। लेकिन यदि मौजूदा रूप में इन ऐक्टों पर अमल किया गया तो लंका स्थित भारतीय इस अत्याचार और दमन का विरोध करेंगे।'' श्री राजलिंगम ने आगे चलकर कहा : ''हमें अपनी कमर कस लेनी चाहिए और अपने अधिकारों की प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक उपायों का अवलम्बन कर अपनी जान देने को तत्पर हो जाना चाहिए। हमें बाहर से सहायता नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि आत्मशक्ति पर निर्भर रहना चाहिए। महात्मा गांधी ने हमें बताया है कि इस प्रकार हम परमाणु बम का भी सामना कर सकते हैं।'' श्री राजलिंगम ने कहा कि अधिकांश भारतीय मजदूरों का भारत से अब कोई सम्बन्ध नहीं है। उनमें से कुछ कभी-कभी भारत जा सकते हैं किन्तु अधिकांश मजदूरों की जड़ें लंका की भूमि में गहरे जम चुकी हैं। जो लोग समय-समय पर इधर-उधर आते-जाते हैं उनके पक्ष का हम समर्थन नहीं करते किन्तु जो स्थायी रूप से यहां बस गये हैं, उनके अधिकारों की हमें चिन्ता है। लंका की भारतीय कांग्रेस ने कल एक प्रस्ताव पास कर लंका नागरिकता ऐक्ट तथा भारत और पाकिस्तान निवासी नागरिकता ऐक्ट को ठुकरा दिया। प्रस्ताव में कहा गया है कि भारतीयों को इन ऐक्टों का विरोध करना चाहिए। प्रस्ताव में इन ऐक्टों की धाराओं को अपमानकारी, भेदभावपूर्ण, असामाजिक, अव्यावहारिक तथा हास्यास्पद बताया गया है।

सम्मान नहीं, यह स्वास्थ्य का मामला

मसाले बनाने वाली दो मशहूर भारतीय कंपनियों- एमडीएच और एवरेस्ट के कुछ उत्पादों पर हांगकांग और सिंगापुर की सरकारों ने प्रतिबंध लगा दिया है। निस्संदेह, यह देश की प्रतिष्ठा और साख के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अब तक चीन के उत्पादों की गुणवत्ता को लेकर मजाक बनाया जाता रहा है, मगर वे इतने सस्ते होते हैं कि दुनिया भर के बाजार में उसके उत्पादों की मांग फिर भी बनी रहती है। लेकिन, यहां कोई बिजली के उपकरणों या प्लास्टिक के सामान व कपड़ों आदि की बात नहीं हो रही, यहां खाद्य पदार्थों की बात हो रही है, जिनका सीधा वास्ता हमारे स्वास्थ्य से है। हांगकांग के खाद्य सुरक्षा विभाग का दावा है कि इन ब्रांडों के कुछ मसालों, जैसे मद्रास करी पाउडर, सांभर मसाला मिक्स्ड पाउडर और करी पाउडर मिक्स्ड मसाले आदि में कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड पाया गया है, जिससे कैंसर होने की आशंका रहती है।

भारतीय मसालों की मांग दुनिया भर में है। भारतीय खान-पान की लोकप्रियता में मसालों की मुख्य भूमिका है। लेकिन इसको हमें भारतीय मान-सम्मान या स्वाभिमान का मुद्दा बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि खाने-पीने की चीजों का स्वास्थ्य और पोषण की कसौटी पर पूरा-पूरा खरा उतरना बहुत जरूरी है। हमारे देश के लाखों घरों में इन मसालों की खपत है और यदि इनमें कोई भी ऐसा तत्व है, जो किसी जानलेवा रोग को उभरने में मदद करता है, तो हमारे अपने लोगों की सेहत को जोखिम है। इसलिए उचित यही है कि इसे राष्ट्रवाद के चश्मे से देखने के बजाय विशुद्ध मानवीय आधार पर जांचा-परखा जाए।

हमें इसलिए भी इसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है कि यहां हांगकांग और सिंगापुर से कहीं विशाल उपभोक्ता इनका सेवन करते हैं और उनमें से ज्यादातर की माली हालत इन दोनों मुल्कों के नागरिकों के मुकाबले काफी कमजोर है। इसलिए बेहतरी इसी में है कि इन मसालों की, बल्कि खाने-पीने के सभी भारतीय उत्पादों की स्तरीय जांच कराई जाए और इनके उत्पादन से जुड़ी कंपनियों के लिए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। यह न सिर्फ देश की प्रतिष्ठा के लिए आवश्यक है, बल्कि आम उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिहाज से भी जरूरी है। वे किसी ब्रांड की चीजें गुणवत्ता के भरोसे ही खरीदते हैं। ऐसे में, उनके साथ किसी किस्म का धोखा नहीं होना चाहिए। खाने-पीने की चीजों के सुरक्षित होने की मान्यता देने वाले सरकारी महकमों व अफसरों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए।

जितेंद्र शुक्ल, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

मसालों पर सवाल

भारतीय उद्योगों के खिलाफ साजिश

भारतीय व्यंजनों और मसालों की दुनिया भर में मांग बढ़ रही है। इसके कारण भारतीय मसाला उद्योग और रेस्तरां क्षेत्र को अमेरिका से लेकर यूरोप तक में नई बढ़त हासिल हो रही है। मसालों के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। साल 2022-23 में इसने 3.77 अरब डॉलर के मसाले निर्यात किए थे। ऐसे में, हांगकांग और सिंगापुर द्वारा दो नामचीन ब्रांडों के उत्पादों पर पाबंदी को एक सामान्य कार्रवाई के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। तब तो और, जब हम सब जानते हैं कि भारत और भारतीयों की बढ़ती हैसियत को पचा पाना बहुत सारे देशों के लिए मुश्किल हो रहा है।

कुछ वर्षों पहले यह प्रवृत्ति देखी गई कि हमारे पारंपरिक ज्ञान पर आधारित चीजों का भी पश्चिमी देश धड़ल्ले से पेटेंट करा ले रहे थे। उनके पेटेंट को चुनौती देने और उसे अपने नाम कराने में हमें अपनी काफी ऊर्जा और भारी संसाधन व्यय करने पड़े। अब नई-नई अड़चनों के जरिये भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रगति के मार्ग में रुकावटें डाली जा रही हैं। हम मानते हैं कि कुछ मामलों में हमारी कंपनियों से चूक हुई, लेकिन जब कभी भी किसी ने वैध आपत्ति उठाई, तो हमने सहर्ष उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया। ऐसे में, यह जरूर देखा जाना चाहिए कि सिंगापुर व हांगकांग के अधिकारियों ने इन मसालों पर रोक से पहले क्या भारत के संबंधित विभाग को आगाह किया था? यदि किया गया था, तो हमारे अधिकारियों ने उस पर क्या कदम उठाया? इस बात को बहुत गंभीरता से लेना होगा।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि विकसित देश प्रोपगैंडा वार में कितने माहिर हैं और अब तो बीजिंग भी इस क्षेत्र में पश्चिम को बराबरी से टक्कर देता है। इसलिए मसाले तो महज मोहरा हैं, दरअसल इनके निशाने पर भारत की विश्वसनीयता है, जिसे सदियों की सहनशीलता और धैर्य से हमने अर्जित किया है। भारत चूंकि तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और उसके बाद उसका प्रतिद्वंद्वी दो बड़े देश रह बचेंगे, तो बाकी देशों को लग रहा है कि भारत की तरक्की की रफ्तार बढ़ती गई, तो वह अगले दशक में ही एक ऐसी जगह पर होगा, जहां उसकी बराबरी संभव न रह जाएगा। इसलिए उसके ब्रांडों की विश्वसनीयता पर हमला बोलो, ताकि उसकी गति पर लगाम लग सके। भारत सरकार को इस नजरिये से भी इस प्रकरण को देखना चाहिए। हमें भी दूसरे देशों के उत्पादों की गुणवत्ता की जांच करानी चाहिए।

रोहित मदान, टिप्पणीकार

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 59

तैयार रहने की जरूरत

वर्ष 2023 में वैश्विक व्यापार में 1.2 फीसदी की गिरावट के बाद दुनिया भर में वस्तु व्यापार का आकार इस वर्ष 2.6 फीसदी और अगले वर्ष 3.3 फीसदी बढ़ने का अनुमान है। इसके बावजूद कारोबारी समूहों के बीच गहराती समस्याओं और बढ़ते तनाव ने सीमापार के व्यापारिक रिश्तों को जोखिम में डाल दिया है। बहुपक्षीय संस्थाओं मसलन अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) ने महामारी के बाद की दुनिया में व्यापारिक प्रवाह के प्रतिबंधों को उचित ही रेखांकित करते हुए कहा है कि आर्थिक खुलेपन के लाभ को बचाने की आवश्यकता है। आईएमएफ के ताजा विश्व आर्थिक अनुमान में कहा गया है कि रूस-यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से विभिन्न देश खुद को अपने-अपने कारोबारी समूह के देशों के साथ सहज पा रहे हैं बजाय कि राजनीतिक दृष्टि से दूर स्थित कारोबारी समूहों के।

जो देश एक ही व्यापारिक समूह में नहीं हैं उनके बीच के कुल वाणिज्यिक व्यापार में 2.4 फीसदी की कमी आई है। इससे संकेत मिलता है कि व्यापारिक प्रवाह बहुत हद तक विभिन्न देशों की आर्थिक स्थिति और उनके संभावित कारोबारी साझेदारों से तय होती है। रणनीतिक क्षेत्रों में व्यापार को लेकर यह रिश्ता और अधिक मजबूत है मसलन मशीनरी और केमिकल आदि। अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक और वैचारिक प्रतिद्वंद्विता ने दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच कारोबारी रिश्ते को कमजोर किया है। इसके परिणामस्वरूप पश्चिम के देश ऐसी नीतियां अपना रहे हैं जहां वे मित्र राष्ट्रों और करीब स्थिति देशों की मदद लेकर अपने कारोबार का जोखिम कम कर रहे हैं जबकि चीन आत्मनिर्भरता की बात कर रहा है। उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों और भारत जैसे विकासशील देश इस मामले में जो भी रुख अपनाएंगे वह अहम होगा। निर्गुट देशों के लिए तथा ऐसे देशों के लिए जो किसी कारोबारी समूह से नहीं जुड़े हैं, हालात और अधिक मुश्किल हो सकते हैं।

पनामा और स्वेज नहर जैसे दो अहम नौवहन मार्गों का बाधित होना कारोबारी संभावना के लिए जोखिम बढ़ाने वाला है। पनामा नहर में स्वच्छ जल की कमी तथा नौवहन यातायात को लाल सागर से दूर किए जाने से आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही हैं तथा लागत बढ़ रही है। इस तरह का विभाजन केवल वस्तु व्यापार में नहीं हो रहा है बल्कि सेवा व्यापार और डेटा प्रवाह नीतियों में भी इसे महसूस किया जा सकता है। यह बात भारत जैसे देशों को प्रभावित कर सकती है जो सेवा क्षेत्र में महारत रखते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका अपने एशियाई कारोबारी साझेदारों खासकर भारत से सूचना, संचार और तकनीकी सेवाओं में जो आयात करता है वह 2018 के 45.1 फीसदी से घटकर 2023 में 32.6 फीसदी रह गया।

इसी अवधि में उत्तरी अमेरिकी कारोबारी साझेदारों से अमेरिका का आयात 15.7 फीसदी से बढ़कर 23 फीसदी हो गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि वह अपने करीब स्थित देशों के साथ कारोबार बढ़ा रहा है। व्यापार का इस प्रकार विभाजित होना खतरनाक है क्योंकि इससे प्रतिस्पर्धा में कमी आने और विशेषज्ञता की कमी के कारण किफायत नहीं रहने के हालात बनने का खतरा होता है। डब्ल्यूटीओ का एक अध्ययन बताता है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के इस प्रकार भूराजनीतिक धड़ों में बंट जाने से लंबी अवधि में दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद में पांच फीसदी तक की कमी आ सकती है। वहीं डेटा प्रवाह नीतियों का भूराजनीतिक आधार पर बंटना वास्तविक वैश्विक निर्यात में 1.8 फीसदी और वास्तविक जीडीपी में एक फीसदी की कमी ला सकता है। इन कारोबारी बाधाओं के कारण पोर्टफोलियो और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की आवक में कमी उभरते बाजारों में पूंजी के एकत्रीकरण में कमी की वजह बन सकता है। वैश्विक कारोबार में इस उभरते रुझान के निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं दिख रही है। ऐसे में भारत की व्यापार नीति को वैश्विक बाजार में खुद को प्रासंगिक बनाए रखने की तैयारी रखनी होगी।

बिनय सिन्हा

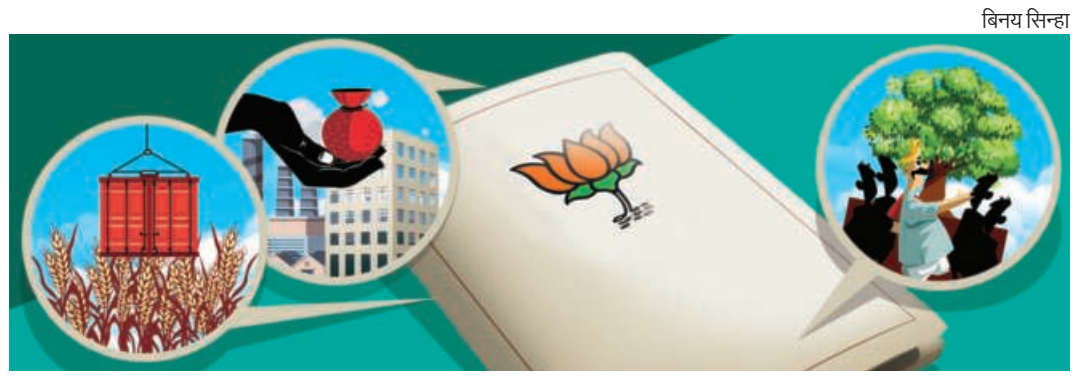

वादों को हकीकत में बदलने का हो प्रयास

भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में आर्थिक नीति से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए हैं। कई आर्थिक विषय ऐसे हैं जिनके लिए ज्यादा समग्र दृष्टिकोण अपनाए जाने की आवश्यकता है। बता रहे हैं ए के भट्टाचार्य

आम चुनाव के पहले घोषित किए जाने वाले चुनाव घोषणापत्र राजनीतिक दलों की आकांक्षाओं, वादों और दृष्टि के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। यही कारण है कि जब सत्ताधारी दल अपना घोषणापत्र जारी करता है तो उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। तब तो और भी ज्यादा जब यह उम्मीद हो कि चुनाव के बाद उसकी सत्ता में वापसी होगी।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सात चरणों में हो रहे 2024 के आम चुनाव के पहले अपना घोषणापत्र जारी किया और जाहिर है उसने भी बड़े पैमाने पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। इस आलेख में हम भाजपा के घोषणापत्र में उल्लिखित तीन अहम आर्थिक नीति संबंधी वादों का विश्लेषण करेंगे। इसका लक्ष्य है यह समझना कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो इन वादों का आने वाले पांच वर्षों में क्या असर हो सकता है। घोषणापत्र में अर्थव्यवस्था से संबंधित बातों में निवेश बढ़ाने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा करीब एक दर्जन से अधिक क्षेत्रों मसलन अधोसंरचना, वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, सेमीकंडक्टर, विमानन सेवा और कपड़ा आदि क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया गया है। पिछले पांच वर्षों में केंद्र और राज्य के स्तर पर सरकारों के नेतृत्व में होने वाला निवेश भाजपा के शासन की पहचान रहा है। इस रणनीति ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कोविड के झटके से उबरने में मदद की और निवेश पर ध्यान दिए रहने की उम्मीद की जा सकती है।

ऐसा प्रतीत होता है कि घोषणापत्र में निवेश में निजी क्षेत्र की मजबूत हिस्सेदारी की अनुपस्थिति की अनदेखी की दी गई है। यह चिंता का विषय है। चूंकि खपत में इजाफा नहीं हो रहा है इसलिए जरूरत इस बात की है कि निजी क्षेत्र को निवेश बढ़ाने के लिए प्रेरित करने के क्रम में जरूरी कदम उठाए जाएं। यह काम अपेक्षाकृत कम कठिनाई से हो सकता है अगर जून 2024 में सत्ता में आने वाली केंद्र सरकार लंबे समय से लंबित कारक बाजार सुधारों को प्राथमिकता दे।

इस संदर्भ में देखें तो भाजपा का घोषणापत्र क्षेत्र आधारित बाजार सुधारों की जरूरत को रेखांकित करने में नाकाम रहा है। उदाहरण के लिए औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी कानूनों में बदलाव संबंधी सुधार और श्रम नीतियों को लचीला बनाने में कमी। विगत चार वर्षों में सरकार द्वारा पूंजी निवेश में लगातार इजाफा देखने को मिला है जो स्वागतयोग्य है लेकिन अभी भी निजी क्षेत्र की ओर से निवेश में तेजी आना शेष है। निजी निवेश बढ़ाने का एक तरीका भूमि और श्रम कानूनों को सहज बनाना और अन्य नीतिगत बदलाव लाना भी है ताकि निवेश और कारोबारी सुगमता को सहज बनाया जा सके। भाजपा का आर्थिक घोषणापत्र नीतिगत बदलाव की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता।

इसमें दो राय नहीं कि ई-कोर्ट को मिशन की तरह बढ़ावा देने, पुराने तथा लंबित मामलों के निस्तारण की गति को तेज करने और वैकल्पिक विवाद निस्तारण के लिए सही माहौल बनाकर न्यायिक सुधारों को गति देने से निजी निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। इसी प्रकार अधिक किफायती स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था और शिक्षा बुनियादी ढांचा भी लंबी अवधि में मददगार साबित होगा। परंतु नई सरकार को भूमि और श्रम सुधारों को लेकर क्या करना चाहिए इसे लेकर स्पष्ट संकेत दिया जाता तो बेहतर होता।

घोषणापत्र दो और सवाल उठाता है। किसानों को आय अंतरित करने की योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना को और मजबूत करने की बात कही गई है। यह योजना 2019 के आम चुनाव से कुछ महीने पहले की गई थी। ध्यान रहे कि भाजपा का 2024 का घोषणापत्र इस योजना को मजबूत करने की बात करता है लेकिन किसान परिवारों को मिलने वाली छह हजार रुपये सालाना राशि में किसी इजाफे की बात नहीं की गई है। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में किसी इजाफे का वादा भी नहीं किया गया है। हालांकि घोषणापत्र इनमें समय-समय पर बढ़ोतरी करने की बात कही गई है। इसके अलावा फसल बीमा योजना को मजबूत बनाने का वादा किया गया है और साथ ही फसलों में विविधता लाने की बात कही गई है। दालों और तिलहन का रकबा बढ़ाने की बात कही गई है क्योंकि इस क्षेत्र में देश निरंतर आयात पर निर्भर है।

ये सभी वादे राजकोषीय जवाबदेही और कृषि के नजरियों से आश्वस्त करने वाले हैं लेकिन इस बात को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है कि इन योजनाओं को कैसे मजबूत किया जाएगा, फसलों में विविधता कैसे आएगी और दलहन-तिलहन का रकबा कैसे बढ़ाया जाएगा। इन वादों को पूरा करना आसान नहीं है। इनके क्रियान्वयन के लिए अधिक योजना बनाने की जरूरत होगी।

चिंताजनक बात है कि संसद द्वारा 2020 में पारित तीनों कृषि कानूनों से दूरी बनाई गई है। इन्हें दिल्ली के आसपास किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद वापस लेना पड़ा था। इन कानूनों का इरादा नेक था और इनकी मदद से ऐसी व्यवस्था बनाई जानी थी जिसें किसान अपनी उपज को कृषि उपज विपणन समितियों के दायरे के बाहर बेच सकते थे, अनुबंधित कृषि की जा सकती थी और वे अपनी उपज को अनिवार्य जिंस अधिनियम के तहत स्टॉक लिमिट से बाहर कर सकते थे। भाजपा का घोषणापत्र इस बारे में कुछ नहीं कहता कि इन कानूनों की अनुपस्थिति में ये लक्ष्य कैसे हासिल होगा। आखिर में सत्ताधारी दल का घोषणापत्र पंचायती राज संस्थानों के लिए राजकोषीय स्वायत्तता की बात करता है ताकि उन्हें स्थायित्व मिल सके। इस वादे को पूरा करने से देश के संचालन ढांचे में सकारात्मक बदलाव आएगा। परंतु एक बार फिर घोषणापत्र यह समझाने में विफल रहा कि पंचायती राज संस्थानों के लिए किस तरह की राजकोषीय स्वायत्तता का प्रस्ताव है।

सन 1993 से ही यानी जब तीसरे स्तर की सरकार को सांविधिक अधिकार प्रदान किए गए, सभी पांच वित्त आयोगों ने ऐसी कई अनुशंसाएं कीं ताकि शहरों और स्थानीय निकायों को संसाधनों का वितरण बढ़ाया जाए। यहां तक कि दसवें वित्त आयोग ने जिसकी स्थापना तीसरे स्तर की सरकार संबंधी कानून बनने के एक साल पहले की गई थी, उसने अनुशंसा की थी कि कुल संसाधनों का एक हिस्सा इन स्थानीय निकाय सरकारों के लिए निकाल दिया जाए।

बहरहाल, तीन अहम मुद्दे उभरते हैं। शहरी और स्थानीय निकायों को संसाधनों का आवंटन अनुशंसा से कम रहा। यह कमी 5 से 18 फीसदी तक रही। तीसरे स्तर की सरकार में अंकेक्षण और लेखा सुविधाओं की कमी चिंता का विषय रही है। इन निकायों को संस्थागत समर्थन नहीं मिल रहा है। सबसे बुरी बात यह है कि अधिकांश राज्य राज्य वित्त आयोग गठित करने के अनिच्छुक रहे। इसके गठन का उद्देश्य है संसाधनों का सहज प्रवाह सुनिश्चित करना और ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकायों को मदद मुहैया कराना। अब तक केवल पांच या छह राज्यों ने वित्त आयोग गठित किए हैं। जाहिर है तमाम संस्थागत कमियां हैं जिन्हें हल करने की जरूरत है। तभी पंचायती राज संस्थानों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जा सकती है। अगर वादों को हकीकत में बदलने के लिए सही माहौल नहीं बनाया गया तो वे अप्रासंगिक हो जाते हैं। यह बात चुनावी वादों पर भी लागू होती है।

निम्न मध्य आय का जाल और भारत

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) ने हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट (आईएचडी) के साथ मिल कर एक रिपोर्ट जारी की जिसके बारे में काफी कुछ लिखा जा चुका है। यह रिपोर्ट 2000 के बाद देश में रोजगार की स्थिति से संबंधित है। रिपोर्ट में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सरकारी आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है लेकिन एक कदम आगे जाकर विभिन्न तरीकों से किए गए सर्वेक्षणों के परिणामों की तुलना भी की गई है और इसके नतीजे बहुत निराशाजनक हैं। अगर रिपोर्ट लिखने वालों की व्याख्या को संक्षेप में पेश करें तो: देश की श्रम शक्ति में कोई भी ढांचागत बदलाव गहरी समस्याओं से ग्रस्त रहा है। निश्चित तौर पर कुछ मामलों में मसलन कृषि पर निर्भरता के मामलों में संकेत यही हैं कि देश पीछे जा रहा है।

ढांचागत बदलाव से क्या तात्पर्य है? आर्थिक सिद्धांत और आर्थिक इतिहास दोनों यही बताते हैं कि गरीब देशों में कृषि के लिए आरक्षित श्रम की मात्रा काफी अधिक होती है। ये ऐसे लोग होते हैं जो इस क्षेत्र का आधुनिकीकरण नहीं होने के कारण अनुत्पादक हैं। जब औपचारिक क्षेत्र के लिए रोजगार के अवसर खुलते हैं, खासकर व्यापक विनिर्माण क्षेत्र में तो कृषि क्षेत्र के इन श्रमिकों का कुछ हिस्सा यहां आता है। इससे विनिर्माण का उत्पादन बढ़ता है जबकि कृषि के उत्पादन में कोई खास कमी नहीं आती है क्योंकि ये श्रमिक वहां अनुत्पादक थे। कुल मिलाकर वेतन और आय में इजाफा होता है और समय के साथ देश अमीर होने लगता है।

आईएलओ-आईएचडी की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में ढांचागत बदलाव की गति धीमी रही है। वह देश में इस प्रक्रिया के बारे में दो प्रासंगिक तथ्यों की बात करती है। पहला, किसी भी कारण कृषि से बाहर जाने वाले श्रमिक प्रमुख तौर पर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में जाते हैं। विनिर्माण क्षेत्र के रोजगार की हिस्सेदारी 12 से 14 फीसदी रहा। दूसरा, इसमें भी 2019 के बाद बदलाव आ गया क्योंकि कृषि क्षेत्र के रोजगार में काफी इजाफा हुआ।

नीति नियम
मिहिर शर्मा

कृषि क्षेत्र के अतिरिक्त श्रमिकों का सेवा क्षेत्र में शामिल होना कोई सहजता से हजम होने वाली बात नहीं है। सेवा क्षेत्र की प्रकृति में बहुत विविधता है। सड़क पर खाने पीने का स्टॉल लगाने वाले व्यक्ति से लेकर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां तक इसमें शामिल होती हैं। परंतु कृषि ही वह क्षेत्र है जो श्रमिकों के खपत की क्षमता दिखाता है, न कि सेवा क्षेत्र। विनिर्माण का मसला अलग है: व्यापक समझ यही है कि ग्रामीण भारत से शहरों में काम करने के लिए आने वाले श्रमिक विनिर्माण क्षेत्र में काम करने आते हैं। अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर सस्टेनेबल एंप्लॉयमेंट के प्रमुख और अर्थशास्त्री अमित बसोले ने कृषि श्रमिकों के खपत के भारत के आंकड़ों की अन्य देशों से तुलना की। उनके मुताबिक कम से कम 2019 तक प्रति व्यक्ति जीडीपी वृद्धि को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि कृषि क्षेत्र से श्रमिकों के बाहर निकलने की स्थिति है लेकिन यही बात अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में नहीं कही जा सकती है। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में श्रमिकों का अनुपात अपेक्षित से करीब 8.8 फीसदी अधिक है जबकि विनिर्माण के क्षेत्र में भारत में रोजगार हिस्सेदारी अनुमान से 9 फीसदी अधिक है। दूसरे शब्दों में कहें तो देश में अतिरिक्त श्रमिक गैर कृषि क्षेत्र में अनौपचारिक रोजगार का रुख कर रहे हैं, खासतौर पर विनिर्माण के क्षेत्र में। परंतु इसकी गति भी अपेक्षाकृत तेज नहीं है। आईएलओ-आईएचडी की रिपोर्ट में इस स्थिति के पलटने की चिंता इन आंकड़ों पर आधारित है जिनमें कहा गया है कि कृषि क्षेत्र में रोजगार की हिस्सेदारी 2019 के 42.4 फीसदी से बढ़कर 2021 में 46.4 फीसदी हो गई और उसके बाद 2022 में यह गिरकर 45.4 फीसदी हो गया। यह पूरी तरह महामारी के असर के कारण हुआ या नहीं यह देखना होगा। देश की श्रम योग्य आयु वाली आबादी कहां और किस तरह रोजगारशुदा है यह बात क्षेत्रवार हिस्सेदारी के लिए प्रासंगिक नहीं है। ढांचागत बदलाव की यह कमी व्यापक उपायों मसलन उत्पादकता और वेतन में भी नजर आई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2012 और 2022 के बीच वेतनभोगी कर्मचारियों तथा स्वरोजगारशुदा कामगारों की वास्तविक मासिक आय में कमी आई। यह गिरावट ऐसा औपचारिक क्षेत्र दिखाती है जिसमें अतिरिक्त श्रमिकों की मांग नहीं है। यह ऐसे विकास मॉडल का प्रभाव है जो ऐसा औपचारिक क्षेत्र तैयार नहीं कर पाया जो कृषि क्षेत्र के अधिक श्रमिकों को अपनी ओर आकर्षित करता हो। ऐसे विकास मॉडल की अपनी सीमाएं होती हैं। अगर विनिर्माण और व्यापक तौर पर समूचा औपचारिक क्षेत्र अधिक श्रमिकों को आकर्षित कर अपने साथ नहीं जोड़ सकता है तो औसत उत्पादकता में इजाफा नहीं होगा। इसमें इजाफा नहीं होता है तो वेतन और मांग भी नहीं बढ़ती। परंतु निवेश के केंद्र के रूप में भारत का आकर्षण और हाल के वर्षों में उसका पूरा विकास मॉडल मांग पर आधारित रहा है। मुक्त व्यापार के प्रति अनिच्छा को देखते हुए यह आवश्यक है कि हम कम से कम घरेलू मांग में तेज वृद्धि लाने का प्रयास करें ताकि विनिर्माण में निवेश हो सके और मांग की पूर्ति हो सके। मांग में वृद्धि तब तक नहीं आएगी जब तक श्रम शक्ति में ढांचागत बदलाव नहीं आएगा।

जो सफलतापूर्वक विकसित हुए वे निर्यात बाजार आदि से मिली गति के कारण इससे निजात पाने में कामयाब रहे। अन्य संभावित उपाय भी हैं जो उठाए जा सकते हैं। रथिन राय ने इस अखबार में लिखा था कि नियामकीय और संस्थागत ढांचागत अवरोध समेकित मांग को प्रभावित करते हैं। यानी भारत के करीब 30 करोड़ उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुएं। ये ऐसे लोग हैं जो जीवन निर्वाह के स्तर से थोड़ा ही ऊपर हैं। ये ढांचागत बदलाव इन चीजों को जरूरत से ऊंची लागत पर रखते हैं और कम मेहनताने के साथ सीमित लोगों की पहुंच में होती हैं। हाल के वर्षों में अंग्रेजी के 'के' अक्षर की आकृति वाले सुधार, ग्रामीण निराशा जैसी बातों का काफी जिक्र सुनने को मिलता है। इसके पीछे के आंकड़ों को कई तरह से पढ़ा जा सकता है। परंतु मेहनताने और रोजगार के आंकड़े सबसे कम अस्पष्ट हैं। आंकड़े बताते हैं कि देश की आर्थिक वृद्धि का आकार बहुत संकीर्ण रहा है। इसका टिकाऊपन सीमित है और अधिकांश लोगों की जिंदगी बदलने में यह उतना योगदान नहीं कर पाती।

किसी न किसी वजह से मेहनताना, वृद्धि और रोजगार के मुद्दे चुनावों के केंद्र में नहीं हैं। राजनेताओं को अदूरदर्शी आर्थिक नीतियां बनाने देना दुर्भाग्यपूर्ण है। मध्य आय वाले जाल में उलझने के बजाय भारत निम्न मध्य आय के जाल में उलझ सकता है जो खराब स्थिति है। इन मुद्दों को अगली सरकार के एजेंडे में प्रमुखता से शामिल किया जान चाहिए।

आपका पक्ष

सरकारी स्कूलों की चुनौती

भारत में शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की जरूरत काफी समय से महसूस की जा रही है। सरकारी स्कूलों की स्थिति में सुधार के लिए कई प्रयास किए गए हैं लेकिन समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय की हालिया टिप्पणियों ने इस बात की ओर इशारा किया कि सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति, टूटी हुई मेज-कुर्सियों जैसी गंभीर समस्याएं हैं। यह दिखाता है कि स्कूलों में व्यवस्थागत शिथिलता अब भी है। शिक्षा के क्षेत्र में नए सुधारों की शुरुआत से कुछ आशा जगती है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अध्यापक प्रशिक्षण में सुधार और चार वर्षीय प्रशिक्षण लागू किया जा रहा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि की संभावना बन सकती है। साथ ही, सरकारी स्कूलों में छात्र उपस्थिति और नामांकन बढ़ाने के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। हालांकि, शिक्षा के क्षेत्र में कई चुनौतियां हैं, जैसे शिक्षक प्रशिक्षण की गुणवत्ता, स्कूलों की अवस्थाओं में सुधार और छात्रों के लिए परिवहन व्यवस्था आदि। हमें इन समस्याओं का समाधान खोजने के लिए लगातार प्रयास करना चाहिए। इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण में सुधार को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। साथ ही, स्कूलों में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी चाहिए। स्कूलों में छात्र उपस्थिति बढ़ाने के लिए परिवहन व्यवस्था सुधारने की भी जरूरत है। इन उपायों के माध्यम से हम सरकारी स्कूलों की स्थिति को बेहतर बना सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर सकते हैं। अंत में, हमें नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर ध्यान देना चाहिए और उसके सकारात्मक परिणामों को देखना चाहिए।

अमरजीत कुमार, औरंगाबाद

'जीरो शैडो डे' के अवसर पर बुधवार को बेंगलूरु स्थित जवाहरलाल नेहरू तारामंडल में परछाईं को मापते स्कूली छात्र-छात्राएं

पृथ्वी को बचाने की जरूरत

सौरमंडल में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन संभव है लेकिन आज इस ग्रह का खुद का जीवन संकट में नजर आ रहा है। हाल में दुबई में वर्षा के कारण जो तबाही हुई, उससे पूरी दुनिया परिचित है। लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं। ऋतुओं में व्यापक परिवर्तन देखा जा रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पृथ्वी जैसा आदर्श वायुमंडल किसी अन्य ग्रह पर नहीं है। इसलिए इस ग्रह को बचाना किसी एक की नहीं बल्कि पूरी पीढ़ी की जिम्मेदारी है। पानी का संकट लगातार बढ़ रहा है और वन लगातार सिकुड़ते जा रहे हैं। मानव और अन्य जीव-जंतुओं में संघर्ष बढ़ रहा है। हमारे जीवन में प्लास्टिक का बढ़ता उपयोग भी पृथ्वी के लिए घातक साबित हो रहा है। आज पूरी दुनिया के महानगरों में कचरे के पहाड़ देखे जा सकते हैं। हमने 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया लेकिन सवाल यह है कि क्या हम सच में पर्यावरणीय कागजी बातों को वास्तविक रूप से धरातल पर लागू कर रहे हैं या सिर्फ खोखले दावों के भरोसे धरती को बचाने का ख्वाब पाल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन के मामले में हम वैसे ही बहुत देरी कर चुके हैं। इसलिए जरूरी है कि सब पूरी इच्छा शक्ति के साथ एकजुट हों और इस ग्रह रक्षा के लिए भगीरथ प्रयास करें।

सौरभ बुंदेला, भोपाल

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

भारत के रक्षा प्रमुख (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान ने बुधवार को फ्रांस के विलर्स-गुइस्लैन में पश्चिमी मोर्चे पर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निःस्वार्थ और वीरतापूर्वक लड़ने वाले भारतीय सैनिकों की असाधारण बहादुरी की याद में पुष्पचक्र अर्पित किया।

यात्रा मंगलमय हो

एविएशन रेग्युलेटर DGCA की ओर से मंगलवार को जारी किया गया वह सर्कुलर यात्रियों की सुविधा के लिहाज से खासा अहम है, जिसके मुताबिक अब एयरलाइन कंपनियों के लिए 12 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके माता-पिता या अभिभावक के पास ही सीट अलॉट करना अनिवार्य हो गया है। यह कदम हवाई यात्रा को आसान, सुविधाजनक और तनावरहित बनाने की दिशा में बेहद उपयोगी होगा।

अघोषित नीति | असल में कई एयरलाइन कंपनियों की अघोषित नीति के चलते यह मसला सामान्य हवाई यात्रियों की असुविधा की एक बड़ी वजह बना हुआ था। DGCA को इस मामले में यात्रियों की काफी शिकायतें मिल रही थीं। मामला उन यात्रियों से जुड़ा है, जो अतिरिक्त शुल्क के भार से बचने के लिए पहले से ही सीट लोकेशन निर्धारित करने का विकल्प नहीं चुनते।

AI Image

DGCA का नया सर्कुलर

अनियोजित आवंटन | आम तौर पर एयरलाइन कंपनियां आखिरी पलों में ऐसी तमाम सीटें अनियोजित ढंग से आवंटित कर देती हैं। इस क्रम में अक्सर छोटी उम्र के बच्चों की सीटें परिवार के अन्य सदस्यों की सीटों से दूर पड़ जाती हैं। लिहाजा यात्रा के दौरान उन बच्चों की जरूरतों का ख्याल रखना परिवार के लिए मुश्किल हो जाता है।

वैश्विक चलन | यह सिर्फ भारत की बात नहीं, बल्कि एविएशन इंडस्ट्री में दिखने वाला एक वैश्विक ट्रेंड है। अमेरिका में पिछले साल खुद राष्ट्रपति जो बाइडन ने इस समस्या की ओर ध्यान खींचते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा था कि कुछ एयरलाइंस उन पैरेंट्स से अतिरिक्त शुल्क लेती हैं जो उड़ान के दौरान अपने बच्चों के साथ बैठना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कहीं भी ऐसा नहीं होना चाहिए।

अनप्रफेशनल नजरिया | जाहिर है, इस ट्रेंड के पीछे ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को सीट लोकेशन चार्ज देने के लिए, तैयार करने की इच्छा छुपी हुई है। हालांकि एविएशन इंडस्ट्री में एयरलाइन कंपनियों की लागत एक बड़ा मसला है। लेकिन इसका हल इस तरह के चलन में तलाशना कहीं से भी प्रफेशनल नजरिया नहीं कहा जाएगा, जिससे जाने अनजाने यात्रियों के फ्लाइट एक्सपीरिएंस की क्वॉलिटी प्रभावित होती हो।

फलता-फूलता सेक्टर | खासकर भारत जैसे देश में यह चलन अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, जहां सिविल एविएशन सबसे तेजी से फलती-फूलती इंडस्ट्री के रूप में उभर रहा है। यह सेक्टर कोविड 19 महामारी के झटके को काफी पीछे छोड़ चुका है। एयर ट्रैफिक मूवमेंट के जो आंकड़े 2022 में 18 करोड़ से कुछ ज्यादा थे, 2023 में वे 32 करोड़ से ऊपर पहुंच गए हैं। अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो भारत साल के आखिर तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन जाएगा।

बुनियादी शर्त | हालांकि देश में सिविल एविएशन की सक्सेस स्टोरी को आकर्षक बनाने के लिए काफी कुछ करने की जरूरत है। लेकिन यात्रियों और एयरलाइंस कंपनियों के बीच स्वस्थ और सद्भावपूर्ण रिश्ता इसकी बुनियादी शर्त है।

साड्डी दिल्ली

मोहल्ला कश्मीरियान

विवेक शुक्ला

अपनी टेलिकॉम कंपनी की तमाम व्यस्तताओं के बावजूद मनोज भान आजकल अपने दिल्ली-NCR में रहने वाले कश्मीरी पंडित दोस्तों से वोट जरूर देने की गुजारिश कर रहे हैं। अगर किसी की तरफ से सकारात्मक उत्तर नहीं मिलता तो वह फोन करते हैं। समझाते हैं, वोट देना क्यों जरूरी है। कश्मीर में आतंकवाद के दौर के साथ ही लाखों पंडितों ने घाटी छोड़ी थी। मनोज भान के परिवार को श्रीनगर छोड़ना पड़ा था। वह 13 मई को अपना वोट पृथ्वीराज रोड के जम्मू-कश्मीर हाउस में जाकर डालेंगे। उस दिन श्रीनगर सीट के लिए वोटिंग होनी है। यहां कश्मीरी पंडितों को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान करने की सुविधा दी गई है। कुछ उत्साही कश्मीरी पंडित 7 मई (अनंतनाग- राजौरी) और कुछ अन्य 20 मई (बारामूला) को इधर रहेंगे ताकि लोग सही ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग कर लें।

उधर, सीताराम बाजार के चौक शाह मुबारक में रहने वाले संजीव रेहू भी आजकल कश्मीर घाटी में लोकसभा चुनाव की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। रेहू के पुरखे उन सैकड़ों कश्मीरियों में शामिल थे जो करीब 150 साल पहले कश्मीर घाटी से दिल्ली आकर बस गए थे। उनमें पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू का भी परिवार था। अब यहां इनकी पांचवी-छठी पीढ़ियां हैं। इन सबने दिल्ली-6 में अपने आशियाने बना लिए। ये जिधर रहने लगे, उसे कहा जाने लगा गली कश्मीरियान। अब यहां गिनती के कश्मीरी परिवार बचे हैं। अधिकतर साउथ दिल्ली की पॉश पंपपोश कॉलोनी में शिफ्ट कर गए। आपको दिल्ली में बसे कश्मीरियों के जुत्शी, कौल, रेहू, हक्सर, कुंजरू, टिक्कू सरीखे सरनेम मिलेंगे। संजीव रेहू जैसों का अब घाटी में कुछ भी नहीं है, ये कश्मीरी भी नहीं बोल पाते, पर कश्मीर नाम सुनते ही इनके चेहरे खिलने लगते हैं। घाटी से बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित दिल्ली आए तो उनके पुनर्वास में उर्दू अदब की मशहूर शख्सियत आनंद मोहन जुत्शी उर्फ गुलजार देहलवी और संजीव के पिता स्वरूप कृष्ण रेहू ने दिन-रात काम किया था।

मनोज भान और संजीव रेहू जैसे नए-पुराने कश्मीरियों को लगता है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर की फिजा तेजी से बदली है। हालांकि इस बात की संभावना बहुत कम है कि वे फिर घाटी में बसेंगे। कारण यह है कि अब कश्मीरी पंडित जहां भी है, वहीं काम-धंधे में लग गए हैं। अकेले दिल्ली में करीब बीस हजार कश्मीरी परिवार रहते हैं। इन्हें सरकार की ओर से हर महीने पहले दस हजार रुपये महीना मिलता था। पिछले साल 27 हजार रुपये महीना मिलने लगा है। इनके बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया में पढ़ रहे हैं। यानी जिंदगी अब पटरी पर लौट चुकी है।

एकदा

प्रकृति में साहित्य

नोबेल पुरस्कार पाने के बाद 1916 में रवींद्रनाथ टैगोर दूसरी बार अमेरिका गए। तब वहां उन्हें तीन महीने तक रहने का मौका मिला। उसी दौरान उनकी मुलाकात जापान के प्रसिद्ध कवि, नाटककार और साहित्यिक आलोचक योने नोकुची से हुई। नोकुची की गिनती जापान के प्रमुख आधुनिकतावादी लेखकों में होती है। वह कविताओं के माध्यम से आधुनिकता के साथ-साथ विद्रोह और प्रेम की बातें करते थे। जापान के पारंपरिक सामाजिक मानदंडों और रूढ़िवादी विचारों के खिलाफ विद्रोह के स्वर उठाते थे। दोनों कवियों के बीच साहित्य, कला और संस्कृति पर गहन चर्चा चल रही थी। इसी बीच नोकुची ने टैगोर से पूछा, 'आपकी कविताएं मेरी कविताओं से अलग होती हैं। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूं। उनमें प्रकृति का इतना सुंदर वर्णन कैसे हो जाता है? क्या आप मुझे प्रकृति से जुड़ने का कोई रहस्य बता सकते हैं?' टैगोर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'रहस्य तो कोई नहीं है, लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूं कि प्रकृति को समझने के लिए हमें उसके करीब जाना होगा। हमें उसके हर रूप को, उसकी हर आवाज को महसूस करना होगा। हमें पेड़ों की सरसराहट, नदियों की कलकल और पक्षियों के चहचहाने में ईश्वर की वाणी सुननी होगी।' साथ ही रवींद्रनाथ ने नोकुची को शांतिनिकेतन आने का निमंत्रण दिया। जापानी कवि टैगोर के आमंत्रण पर शांतिनिकेतन आए। वहां उन्होंने प्रकृति के सान्निध्य में रहकर, ध्यान और चिंतन किया। शांतिनिकेतन के इस अनुभव ने उनके जीवन और उनकी कविताओं पर गहरा प्रभाव डाला। जाते समय जापानी कवि नोकुची ने प्रकृति से जुड़ाव पर रवींद्रनाथ के विचारों पर सहमति जताते हुए कहा, 'आपकी बातें मैं समझ गया। विचारों को जोड़ने में प्रकृति बेजोड़ काम करती है। प्रकृति से ही जीवन समृद्ध हो सकता है।'

Subrata Dhar

संकलन : **दिलीप लाल**

BJP मंदिर के साथ बेहतर कानून-व्यवस्था को भुनाने की कोशिश में, बेरोजगारी-महंगाई भी है मुद्दा

UP में किस पर भरोसा करेगी पब्लिक

बृजेश शुक्ल

मथुरा के गोवर्धन में एक छोटी सी फूल की दुकान लगाए मंसाराम कहते हैं, 'महंगाई तो है, परेशानी भी हो रही लेकिन कोई बात नहीं। बहू-बेटियों की इज्जत सुरक्षित हो गई है। राशन मिल रहा है।' विपक्षी दल बेरोजगारी-महंगाई जैसे मुद्दों के सहारे BJP पर हमला करते हैं।

यूपी की यात्रा | लगभग 3000 किलोमीटर की लंबी चुनावी यात्रा में यह साफ दिखता है कि कानून-व्यवस्था, लाभार्थी और राम मंदिर निर्माण बड़े मुद्दों के रूप में उभर रहे हैं। दिलचस्प है कि विपक्ष कानून-व्यवस्था के मुद्दे की चर्चा नहीं करता, तो BJP उसी पर ज्यादा केंद्रित रहना चाहती है। सवाल है कि क्या यह मुद्दा 2019 के लोकसभा और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों को दोहरा देगा या विपक्ष के बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे BJP पर भारी पड़ेंगे?

मारक हथियार | जमीन पर देखने से साफ हो जाता है कि NDA कहीं ज्यादा आक्रामक ढंग से 2024 लोकसभा चुनाव लड़ रहा है। NDA के नेता मतदाताओं के बीच कहते हैं कि पुराने दिन याद कर लो, जब सड़क पर चलना मुश्किल था। क्या वही दिन फिर लाना चाहते हो? विपक्ष के अपने हथियार हैं। उसमें महंगाई-बेरोजगारी तो है ही, परीक्षा में पेपर लीक और संविधान को बदलने का भी मामला है। विपक्ष अपने इन हथियारों को बहुत कारगर मान रहा है और ये कुछ हलकों में असर भी दिखा रहे हैं। लेकिन लाभार्थी, कानून-व्यवस्था और मंदिर निर्माण के मुद्दे भी अपनी जगह काम कर रहे हैं।

माफिया पर कार्रवाई | बहुत से मतदाता यह स्वीकार करते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी एक चुनावी मुद्दा तो है ही। यह तथ्य आश्चर्य पैदा करता है कि जिन मुद्दों पर विपक्ष ने राज्य सरकार को घेरा, वे बड़े क्षेत्र में BJP के ही काम आते दिख रहे हैं। बड़े माफियाओं के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है, उसका असर साफ दिखता है। यह संदेश पश्चिम से लेकर पूर्व तक, नोएडा से लेकर बलिया तक आखिर कैसे गया? यह आम धारणा बन चुकी लगती है कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करने में यह सरकार सफल रही है।

उत्तर प्रदेश का हाल
- लोगों को और मदद की है उम्मीद
- राममंदिर मुद्दे पर है BJP का जोर
- कानून व्यवस्था का हाल अच्छा

विपक्ष से नाराजगी | अलीगढ़ के देवेंद्र सिंह कहते हैं, हालात ऐसे थे कि आदमी घर के बाहर लेटता था, और अपने जानवरों को घर के अंदर बांधता था। लेकिन अब पशुओं की चोरी व अन्य अपराधों पर अंकुश लग गया। अलीगढ़ के ही मुकेश सिंह कहते हैं कि सरकार को दो मुद्दों पर बहुत ध्यान देना होगा- महंगाई बढ़ी है इसमें कोई दो राय नहीं है। घर का बजट बिगड़ा है और बेरोजगारी भी कम करनी पड़ेगी। यदि इन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया तो परेशानियां बढ़ती जाएंगी। वह इस बात से विपक्षी नेता मेहनत नहीं कर रहे हैं। उनका सवाल है कि आम लोगों से जुड़ा महंगाई और बेरोजगारी जैसा मुद्दा क्यों प्रभाव नहीं दिखा पा रहा।

PTI

अमरोहा में BJP की एक रैली में उमड़े समर्थक

लाभार्थियों का लाभ | BJP और विपक्ष ने जो चक्रव्यूह सजाया है, उसमें उनके अपने-अपने हथियार तो हैं लेकिन विपक्षी दल इन मुद्दों को जमीन तक पहुंचने में सफल नहीं हुए। बदायूं के अमर यादव कहते हैं कि पता नहीं कौन सी पीड़ा है कि अपराधी माफिया के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हुई तो विपक्षी नेताओं के बयान आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन यही तेजी आम जनता से जुड़े मुद्दों में दिखाना चाहिए, जो वे नहीं दिखाते। वहीं BJP लाभार्थियों और कानून-व्यवस्था पर केंद्रित है। वास्तव में यही बात BJP के पक्ष में जा रही है।

मुद्दों का असर | कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने जनता के सामने अपने-अपने मुद्दे रखे हैं। जानने लायक बात यह है कि आखिरकार लोगों पर उनका कितना असर हो रहा है। इस सवाल के जवाब में बरेली के राजेंद्र गंगवार कहते हैं कि BJP के कार्यकर्ता पिछले एक साल से घर-घर जा रहे हैं। पार्टी और सरकार ने क्या किया, क्या नहीं किया- यह बता रहे हैं। वे कानून-व्यवस्था पर चर्चा कर रहे हैं। अब घर-घर जाकर लोगों से पूछा जा रहा है कि उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं? अगर मिला तो उसे रजिस्टर में नोट भी करते हैं।

मदद की आस | अब जब चुनाव आ गया तब विपक्षी दलों ने अपना घोषणापत्र जारी किया। लेकिन वह कितने लोगों तक पहुंचेगा और लोग उस पर कितना विश्वास करेंगे, यह तो समय बताएगा। एक तो जिन लोगों को लाभ मिला है, वे इस बात की आस लगाए बैठे हैं कि यह मदद आगे जारी रहेगी, और BJP की सरकार बनी तो हो सकता है कि उसे और बढ़ा दिया जाए।

बात मुस्लिमों की | बरेली के मोहम्मद इश्तियाक के परिवार के इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड से डेढ़ लाख का इंतजाम हो गया, इसलिए वह खुश हैं। लेकिन उनके साथ खड़े मोहम्मद नाजिम कहते हैं कि परेशानियां ही परेशानियां है। अब आप पूछिए कि केवल अनाज लेकर हम क्या करेंगे? सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है और जिनकी भर्ती निकलती है उसका पेपर लीक हो जाता है। वह कहते हैं कि कांग्रेस ने तो और भी बड़े-बड़े वादे किए हैं, उन पर भी तो ध्यान देना चाहिए लोगों को।

गहरा है असर | लेकिन मथुरा के सुरेंद्र पाल कहते हैं कि मोदी जो दे रहे हैं, वह सबके सामने है। अब विपक्ष वादा कर रहा है, लेकिन लोग इसलिए मोदी का भरोसा कर लेते हैं क्योंकि लोगों को बिना किसी बिचौलिए के फायदा मिल रहा है। देखना होगा कि लोग किस पर भरोसा करते हैं विपक्ष पर या BJP पर! लेकिन कानून-व्यवस्था और मिल रहे लाभों का असर कहीं ज्यादा गहरा है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)

रंगून पर बरसे बम और अवध तक छाया गम

कृष्ण प्रताप सिंह

'मेरे पिया गए रंगून, किया है वहां से टेलीफून, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है।' अभी कुछ दशक पहले तक अवध के बड़े-बुजुर्ग यह सदाबहार फिल्मी गीत सुनते तो अपने आसपास के लोगों को दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान मार्च, 1942 में जापान द्वारा रंगून पर की गई भीषण बमबारी याद दिलाने लगते। कभी रंगून गए रहे हों तो भी, या उसकी बाबत सुन भर रखा हो, तो भी।

ये बुजुर्ग बताते हैं कि उसके कोई सात साल बाद 1949 में 'पतंगा' नाम की फिल्म आई थी। उस फिल्म में देहरादून की रेणुका देवी रंगून से आए अपने पिया का फोन रिसीव कर चहकते हुए यह गीत गाती दिखीं, तो अवध के अनेक श्रोताओं के जिया में उनके पिया से भी कहीं ज्यादा बड़ी आग लगी। अलबत्ता, उस आग की तासीर थोड़ी अलग थी।

क्यों भला? कोई पूछ ले तो ये बुजुर्ग अतीत में खो से जाते। वक्त उनकी आंखों के आगे नाचने-सा लग जाता। तब वे बोलते जाते और पूछने वाले के पास सिर्फ सुनने का विकल्प बचता। वे कहते, उस वक्त तक दुनिया इतनी 'छोटी' नहीं हुई थी। फिर भी जिस ब्रिटिश साम्राज्य के हम गुलाम थे, उसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। बर्मा भी, जो अब म्यांमार कहलाता है, हमारी तरह इसी साम्राज्य के अधीन था। उसकी राजधानी, जो आज यांगून कहलाती है, रंगून कहलाती थी तब।

आवाजाही लगभग बेरोकटोक थी। इसलिए जैसे हमारे देश के दूसरे हिस्सों से बड़ी संख्या में लोग कमाने-खाने की गरज से रंगून आते-जाते थे, वैसे ही गरीबी से तंग हमारे अवध से भी लोग जाते थे। गरीबी के सताए ये लोग आम हालात में वहां छोटी-मोटी नौकरियों और काम-धंधों में भी रमे रहते थे।

एक बार एक ऐसे ही बुजुर्ग से पता चला कि अवध के अपने वक्त के मशहूर शायर मरहूम रफीक सादानी का जन्म 1934 में बर्मा में ही हुआ था। रफीक सादानी वही हैं, जिनकी कविता की एक लाइन अक्सर सुनने को मिल जाती है- *ई महंगाई ई बेकारी, बिकी जात है लोटा थारी, जियौ बहादुर खद्दर धारी!* बताते हैं कि उनके पिता रंगून में इत्र के व्यापारी थे और उन चार लाख से ज्यादा भारतीयों में शामिल थे, जिन्हें रंगून पर होने वाली बमबारी ने अचानक शरणार्थी बनाकर वहां से पलायन को मजबूर कर दिया था।

इसके आगे की तफसील खुद रफीक सादानी ने बयान की थी- 'जान हथेली पर लेकर रंगून से भागे अवध के लोगों में से

AI Image

अवधनामा

अनेक नाना दुश्वारियां झेलकर भी अपने घर नहीं पहुंच पाए थे। पहुंचते भी भला कैसे, बीच में तीन हजार किलोमीटर का फासला था। तिस पर न रास्ते का पता, न सवारियां या संदेश पहुंचाने के साधन, न पेट की आग बुझाने के इंतजाम। हां, जिनके पास रेडियो थे, वे रास्ते में भटक रहे हों, या अपने घरों में रंगून से भागे अपनों के कुशलक्षेम के लिए बेकरार हों, उससे चिपके रहते। फिर भी कभी आधी-अधूरी खबरें पाते, या कभी पाते ही नहीं।'

रफीक सादानी बताते थे कि अवध खासा गमजदा था उन दिनों। फिर नसीहत देते थे कि एक बार युद्ध आरंभ हो जाए तो किसी को भी इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि उसे उससे क्या, उसका घर तो उस क्षेत्र से बहुत दूर है। सादानी साहब की बात सही थी। उनकी बात की वे लोग भी ताईद करते थे जो रंगून से अपने साथ उक्त बमबारी की जाने कितनी सच्ची-झूठी दुखांत कथाएं अपने मुल्क, यानी अवध स्थित अपने घर ले आए थे।

एक मुंहबोले, साथ ही बड़बोले बाबा, क्या पता सच या झूठ, बताते थे- 'रंगून की जेल में गार्ड था मैं। हालात बेकाबू हो गए तो जेल का फाटक खोलकर कैदियों को आजाद कर देने का आदेश हुआ। यह भी कि जो कैदी शातिर अपराधी हैं, उन्हें समुद्र में डुबो दिया जाए, अन्यथा अफरातफरी के माहौल में 'आजाद' होते ही वे रंगूनवासियों पर जाने कैसा कहर बरपाने लगें!'

यह बताते हुए कि 'इसके बावजूद रंगून के हर शहरी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और चोर-उचक्कों की पौ बारह थी', बाबा के चेहरे का रंग उड़ जाता। फिर वे एक छात्र का वाकया बताते, जिसे भागते वक्त जैसे-तैसे एक रेलगाड़ी में जगह मिल गई। लेकिन दो-तीन स्टेशन बाद ही गाड़ी रोककर यात्रियों को बाहर निकल आने और लेट जाने को कहा गया। जब तक यात्री ऐसा करते, हवाई हमला हो गया और चीख-पुकार मच गई। फिर तो बेचारा जाने कितने अकल्पनीय हालात से गुजरने को विवश हुआ।

नालंदा का ज्ञान तिब्बत से वापस आया

अरुण सिंह

'हमारे गले में धूल भर गई। कमरे का फर्श एक इंच मोटी धूल की परत से ढका हुआ था। धूल की परतें हटाने पर मेरी नजर वहां रखी तालपत्र की पांडुलिपियों पर पड़ी। धर्मकीर्ति का 25 खंडों का प्रमाणवार्तिक भाष्य।' राहुल सांकृत्यायन तिब्बत के एक प्राचीन मठ में गए थे। ऐसे दुर्लभ ग्रंथों और पांडुलिपियों की तलाश में, जिन्हें भारत में सदियों पहले नष्ट कर दिया गया था। ये ग्रंथ और पांडुलिपियां नालंदा विहार विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय की थीं। पांचवीं सदी से ही तिब्बती बौद्ध भिक्षु अध्ययन के लिए नालंदा आने लगे थे। यहां से लौटते वक्त वे तालपत्र की पांडुलिपियां और दुर्लभ ग्रंथ ले जाते रहे।

कठिन यात्रा | 13वीं सदी में जब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर नष्ट कर दिया गया तो वहां संग्रहित सभी ग्रंथ और पांडुलिपियां भी नष्ट हो गए। बौद्ध-धर्म के प्रति लगाव, दुर्लभ ग्रंथों और बेशकीमती पांडुलिपियों को वापस लाने का जज्बा राहुल को तिब्बत ले गया। तब तिब्बत जाना बहुत कठिन था। करीब दो महीने की पैदल और खच्चर से यात्रा के बाद ही वहां पहुंचा जा सकता था। विदेशियों का तिब्बत में प्रवेश वर्जित था। रास्ते में चोर-डाकुओं का भी भय बना रहता। इन्हीं हालात में 26 साल के राहुल जान जोखिम में डालते हुए 19 जुलाई 1929 को तिब्बत पहुंचे।

Subrata Dhar

टाइम मशीन

नेपाल से तिब्बत | राहुल ने तिब्बत की पहली यात्रा के लिए नेपाल का रास्ता चुना। वह बौद्ध भिक्षु के वेश में काठमांडू पहुंचे। वहां से एक मंगोल भिक्षु लोब-जंग-शेरब के साथ तिब्बत में दाखिल हुए। सौभाग्य से रास्ते में उन्हें यात्रियों का एक काफिला मिल गया। वह पहले वग ऐड्रे पुंड गुंबा गए। वहीं रहकर उन्होंने चौदह हजार तिब्बती शब्द जमा किए और उनके संस्कृत में अर्थ भी लिखे।

लामाओं से दीक्षा | यहां रहते हुए राहुल की भेंट एक तिब्बती बौद्ध भिक्षु आम्दो गेंदुन चोफेल से हुई। चोफेल के साथ घूमते हुए वह तिब्बत के दूरदराज के इलाकों के उन हजार वर्ष पुराने मठों तक पहुंचे, जहां के पुस्तकालयों में संस्कृत के हजार वर्ष पुराने दुर्लभ ग्रंथ थे, जो भारत में लुप्त हो गए थे। चोफेल के साथ राहुल ने कई मठों का दौरा किया और कई लामाओं से भी मुलाकात की। कहते हैं, राहुल ने इन लामाओं से दीक्षा भी ली।

ग्रंथों की वापसी | राहुल तीन साल तक तिब्बत में रहकर ग्रंथ संग्रह और बौद्ध धर्म पर शोध करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण 15 महीने ही रुक सके। इस दौरान उन्होंने कुछ तिब्बती ग्रंथ, पांडुलिपियां और थंका चित्र खरीदे। इन्हें 22 खच्चरों पर लादकर कलिम्पोंग लाया गया। अपनी पहली यात्रा में वह 1619 ग्रंथ लेकर लौटे।

दूसरी यात्रा | राहुल ने तब संस्कृत ग्रंथों और पांडुलिपियों को भी तिब्बत में ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे। वह इनकी तलाश में फिर से तिब्बत जाना चाहते थे। इस यात्रा के लिए दोस्त और जाने-माने इतिहासकार काशी प्रसाद जायसवाल से उन्हें आर्थिक मदद मिली। बिहार रिसर्च सोसायटी भी मदद के लिए आगे आई। राहुल ने दूसरी यात्रा 1934 में की। इस बार उन्हें 363 संस्कृत ग्रंथ की मूल पांडुलिपियां देखने को मिलीं, लेकिन भारत लाने की अनुमति राहुल हासिल न कर पाए। उन्हें उसका फोटोग्राफ या हाथ से नकल करने की अनुमति मिली। आर्थिक संकट के कारण उन सभी पांडुलिपियों की तस्वीरें वह नहीं ले सके।

दुर्लभ खोज | 25 मई, 1936 को राहुल ने तिब्बत की तीसरी यात्रा की। इस बार उनके हाथ प्रमाणवार्तिक भाष्य लगा। इस खबर से दुनिया भर में हंगामा मच गया। इसके रचनाकार थे महान बौद्ध दार्शनिक धर्मकीर्ति! यह ग्रंथ मूल संस्कृत में था। संस्कृत ग्रंथ नष्ट हो गया था लेकिन यह तिब्बती भाषा में मौजूद था।

विरासत की वापसी | राहुल 1938 में फिर तिब्बत पहुंचे। वहां रहकर उन्होंने खुद कई अन्य दुर्लभ ग्रंथों की प्रतिलिपि तैयार की। इन यात्राओं में कुल 4500 ग्रंथ, पांडुलिपियां, अनुवाद और प्रतिलिपियां वह अपने साथ लाए। पटना वापस लौट कर राहुल ने अपने मित्र काशी प्रसाद जायसवाल की मदद से सभी पांडुलिपियों को व्यवस्थित किया और उनका वर्गीकरण किया। इन सभी ग्रंथों, पांडुलिपियों, ग्रंथों की तस्वीरों और थंका चित्रों को उन्होंने पटना स्थित बिहार रिसर्च सोसायटी में जमा कर दिया।

बोझ नहीं, दोहरी खुशी

प्रणव प्रियदर्शी

थेल्स, इंडिया में सीनियर इंजीनियरिंग मैनेजर (एवियॉनिक्स) सोफिया जोसफ की करियर कथा एकबारगी आदर्श हालात में तय की गई बड़ी आसान और सुहानी सी लग सकती है। उनके माता-पिता उदार और खुले विचारों के थे। खासकर, मां के अंदर शिक्षा और विज्ञान को लेकर एक जुनून था, जो उनके लिए आशीर्वाद साबित हुआ। स्वाभाविक ही परिवार में उन्हें ऐसा माहौल मिला जिसमें सपने देखने, खुलकर जीने और अपनी इच्छाओं का पीछा करने पर कोई पाबंदी नहीं थी। शादी के बाद घर-परिवार की जिम्मेदारियों में हाथ बंटाने वाले पति का साथ सोने पे सुहागा साबित हुआ। लेकिन इस तरह के माहौल का एक साइड इफेक्ट मन पर यह हुआ कि सोफिया के लिए जीवन के किसी भी पहलू को नजरअंदाज करना मुश्किल हो गया। चाहे बात करियर की चुनौतियों से निपटने की हो या बच्चों की देखभाल, उनकी सही परवरिश सुनिश्चित करने की- वह इनमें से किसी को भी कम गंभीरता से लेने के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाती थीं। उन्होंने घर-परिवार का सबसे अच्छा स्वरूप देखा था और मां-पिता से करियर में ऊंची उड़ान भरने का हौसला पाया था। अब दोहरी चुनौती का यह बोझ भारी पड़ सकता था। लेकिन यहीं पर काम आई सोफिया की अपनी बनावट।

सोफिया जोसफ

आधी दुनिया

उन्होंने सबसे पहले यह बात खुद को समझाई और मन में बैठा ली कि वह कोई सुपरवुमन नहीं हैं और उन्हें बनना भी नहीं। एक व्यक्ति के तौर पर उनकी सीमाएं हैं। उन सीमाओं को समझने और स्वीकार करने के बाद आगे की राह थोड़ी आसान हो गई। उन्होंने हर बात में परफेक्ट होने का आग्रह छोड़ दिया और रोजमर्रा की जिंदगी में छोटी-छोटी उपलब्धियों में खुशी तलाशनी शुरू की- चाहे वह ऑफिस में इंजीनियरिंग से जुड़ी कोई गुत्थी सुलझाने की बात हो या बेटे की पहली बाइक राइड की। ये खुशियां उनके जीवन को तो खुशनुमा बनाती ही रहीं, उन्हें बड़ी चुनौतियों से उलझने की ताकत भी देती रहीं। इसी ऊर्जा के दम पर वह लगातार आगे बढ़ रही हैं। सपने देखने का हौसला रखने वाली तमाम लड़कियों/महिलाओं के लिए उनका संदेश भी यही है कि परफेक्ट होने की चिंता छोड़ें, और एक-दूसरे को प्रोत्साहित और प्रेरित करते हुए आगे की ओर कदम बढ़ाते रहें।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

hindi.speakingtree.in

सबकी भलाई में ही छुपा है अपने कल्याण का मंत्र

बी के शुक्ला

कहते हैं, 'करो सेवा तो पाओ मेवा।' यहां मेवा का भाव कोई मूल्यवान वस्तु पा जाना नहीं है, और न ही प्रशंसा पाना है। यह अंदर की खुशी और मनोबल में वृद्धि है। यही पुण्य की असली पूंजी है, जो निस्वार्थ सेवा करने वाले लोगों को दुआओं से प्राप्त होती है। निस्वार्थ सेवा ही सच्ची और सार्थक सेवा है। सेवा दो प्रकार की हैं, सकाम और निष्काम, यानी निस्वार्थ। सेवा का अर्थ है दूसरों को सुख, शांति और राहत देने का भाव या कर्म। इसके बदले में अगर व्यक्ति कुछ पाने या बनने की आशा रखता है तो उसे सकाम सेवा कहते हैं। बिना फल प्राप्ति की इच्छा रखते हुए अगर इंसान सिर्फ दया, करुणा, हमदर्दी, सहायता और समानता की भावना से प्रेरित होकर किसी की सेवा करे, तभी यह निष्काम सेवा है।

असल में निष्काम सेवा सिवाय परमात्मा के और कोई कर नहीं सकता। मनुष्य जो सेवाएं करता है, ज्यादातर सकाम होती हैं। बहुत कम लोग निस्वार्थ सेवा कर पाते हैं। इंसान को सेवा का कर्मफल तो मिलता ही है, तुरंत या बाद में, चाहे कोई फल की इच्छा रखे या न रखे। यह कर्मों का अटल सिद्धांत है। केवल परमात्मा इस नियम से नहीं बंधे हैं, क्योंकि वह सदा विदेही और पारलौकिक हैं। वह जन्म-मृत्यु और दैहिक कर्म बंधनों से सदा परे या न्यारे हैं। दुनियावी इच्छा और कामनाओं से वह सदा मुक्त हैं। केवल श्रेष्ठ कल्याणकारी संकल्पों के जरिए ईश्वर सृष्टि पर बेहतर जीवन और संसार निर्माण की निष्काम सेवा करते हैं।

इसके विपरीत मानव की हर सोच, विचार, दृष्टिकोण, आचरण व आदतें किसी न किसी सांसारिक इच्छा और कामना से प्रेरित और प्रभावित होते हैं। उसके अनुसार इंसान कर्मफल भी भोगता है। तभी दुनिया में निस्वार्थ सेवा को परमार्थ कहते हैं, और दुनियावी कारोबार को स्वार्थ केंद्रित व्यवहार कहते हैं। प्राणी मात्र की सेवा को पुण्य कर्म माना गया है। उस पुण्य कर्म की बदौलत इंसान को आंतरिक खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है। सेवा और पुण्य कर्मों के अनुरूप आशीर्वाद भी मिलता है। क्योंकि पुण्य कर्मों से मनुष्य के मन में जो खुशी और शुभ संकल्पों की लहरें उत्पन्न होती हैं, वह आशीर्वाद का ही काम करती हैं। साथ ही प्रारब्ध के रूप में वह इंसान की भविष्य निधि बन जाती हैं।

इसलिए जरूरत है कि हर सांसारिक कर्म को हम सेवा समझें, और हर कार्य में हम सेवा भाव रखें। इसलिए जीवन में सदा सुखी, संपन्न और सफल रहने के लिए सच्चा सेवाधारी बनना आवश्यक है। सच्ची और सफल सेवाधारी सदा दूसरों की, समाज की, प्रकृति, पर्यावरण और पूरे विश्व के हित और सेवा में अपनी सोच, विचार, वाणी, कर्म, कला, कौशल और हुनर को सफल करता है। क्योंकि समष्टि के कल्याण में ही व्यष्टि का कल्याण समाया हुआ है।

सच्चे सेवाधारी वे हैं जो अपनी शुद्ध, समर्थ, निस्वार्थ व शक्तिशाली संकल्पों से व्यर्थ, अशुद्ध व नकारात्मक सोच, वृत्ति, प्रवृत्ति वाले दुखदायी वातावरण को समर्थ, सकारात्मक और सुखदाई बना दे। कहा भी जाता है कि संकल्प से सृष्टि बनती है। जब इंसान कमजोर और व्यर्थ संकल्प करता है, तब व्यर्थ के वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है। जैसे भौतिक विज्ञान वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म कर देते हैं, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, ऐसे ही हमारे शुद्ध व समर्थ संकल्प का वाइब्रेशन वातावरण में मौजूद व्यर्थ व दूषित चीजों को समाप्त कर देता है। यही स्वस्थ जीवन और सुखमय संसार बनाने का आधार है।

रीडर्स मेल

www.edit.nbt.in

प्रदूषण बिगाड़ रहा खेल

एनबीटी के संपादकीय पृष्ठ पर हर हफ्ते करंट विषयों को बहुत ही रोचक अंदाज में पेश किया जाता है। 24 अप्रैल को 'रोक लेंगे धूप, बरसा देंगे पानी' शीर्षक से प्रकाशित इन्फोग्राफिक्स में दुबई में आई बाढ़ के कारण और प्रभाव को बहुत ही शानदार ढंग से पेश किया गया है। तापमान में बढ़ोतरी के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इसकी वजह से कहीं बाढ़ और कही सूखे के हालात पैदा हो रहे हैं। इससे जल संकट पैदा हो रहा है। कुल मिलाकर हम प्रकृति के साथ चलेंगे तो वह हमारी सारी जरूरतें पूरी करेगी। लेकिन अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिए उसका दोहन करेंगे तो निश्चित ही उसका खामियाजा भुगतना होगा।

अंकित सोनी, ईमेल से

विश्वसनीयता बनी रहे

23 अप्रैल के लेख 'BJP संविधान नहीं बदलेगी, मान लीजिए' में पाठकों को पूरा विश्वास दिलाने की कोशिश की गई है। लेकिन यह भी देखा जाना चाहिए कि किसी की कथनी-करनी में कितना अंतर रहा है। विवादास्पद मामलों में किसी एक सदस्य के जरिए कोई बयान दिलवाया जाता है, फिर उस पर प्रतिक्रिया देखी जाती है। अगर समाज से तीखी प्रतिक्रिया आती है तो पार्टी की तरफ से पल्ला झाड़ लिया जाता है और उसे उस नेता की निजी राय बता दिया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद फिर वही अजेंडा आगे बढाने की कोशिश होने लगती है। इस वजह से कई मामलों में BJP ने अपनी विश्वसनीयता खोई है।

दिलबाग सिंह, ईमेल से

गेंदबाजों की चुनौतियां

क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल माना जाता है। कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं होता। फिर भी इस बार के IPL सीजन में एक बात साफ पता चल रही है कि गेंदबाजों की खैर नहीं। रोज गेंदबाजों की बेरहमी से धुनाई हो रही है। दरअसल यह क्रिकेट के बदलते प्रारूप के कारण हो रहा है। खिलाड़ी अपने आपको 20 ओवर के लिए ही तैयार कर रहे हैं। ऐसे में गेंदबाजों की चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। दोनों तरफ से नई गेंद का इस्तेमाल होने से रिवर्स स्विंग की भी कोई ज्यादा संभावना नहीं रह जाती है।

करूणा नयन चतुर्वेदी, डीयू

nbtedit@timesgroup.com पर अपनी राय नाम-पते के साथ मेल करें।

अंतिम पत्र

अब 100 रेलवे स्टेशनों पर सस्ती आलू-पूरी, छोले-भटूरे - एक खबर - देश तरक्की पर है, भूख लगे तो स्टेशन भागो!

प्रदीप गुप्ता

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्स: 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)